रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052024-254264
CG-DL-E-20052024-254264

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1904] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2024/वैशाख 26, 1946
No. 1904] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2024/VAISAKHA 26, 1946

MinistryCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2024

का.आ. 2002(अ).— प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4227 (अ), तारीख 26 सितंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 26 सितंबर, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य 776 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के कश्मीर प्रांत के श्रीनगर, गंडेरबल और अनंतनाग जिलों में फैला हुआ है।

और, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल 141 वर्ग किलोमीटर है को अधिसूचना सं. एस.आर.ओ: 134, दिनांक 10 अप्रैल, 1990 द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है और ओवेरा अरू

वन्यजीव अभयारण्य जिसका क्षेत्रफल 425 वर्ग किलोमीटर है, को एस.आर.ओ: 154, दिनांक 19 मार्च, 1987 द्वारा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है और थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य जिसका क्षेत्रफल 210 वर्ग किलोमीटर है को एस.आर.ओ: 156, दिनांक 19 मार्च, 1987 द्वारा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है।

और, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर शहर से उत्तर-पूर्व में 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उद्यान औसत समुद्र तल से 1600 मीटर से 4250 मीटर की ऊंचाई के बीच ग्रेट जानस्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह केंद्र हिमालयन धुरी के उत्तर पश्चिम उपखंड बनाता है। दाचीगाम हंगुल (कश्मीर लाल हिरण), के अंतिम जीवनक्षम और उसकी स्थानिक संख्या के वास के लिए प्रसिद्ध है जो दक्षिण-पूर्व एशिया में बचा हुआ एकमात्र वास स्थल है। इस उद्यान की ऐसी प्रतिष्ठा है कि इसे देश में सर्वोत्तम प्रबंधित राष्ट्रीय उद्यान होने का पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है।

और, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य श्रीनगर से उत्तर-पूर्व में 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अभयारण्य 34°37′ उ अक्षांश और 74°29’ से 74°36’ पू देशांतर के बीच स्थित है और इसके दायरे में समुद्र तल से 3015 मीटर से 5466 मीटर की ऊँचाई वाली पर्वत श्रेणियां आती है। इसमें सिंध वन संभाग के वन कम्पार्टमेंट सं.56/एस से 62/एस तक भी आते हैं। इस क्षेत्र के मुख्य आकर्षण कश्मीर कस्तूरी मृग (मोस्यूस कूपरेयूस) और हिमालयन ब्राऊन भालू (अरसस अर्कटोस) जैसे जीवजंतु है। यह अभयारण्य अन्य महत्त्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्रों जैसे अरू, ऊपरी दाचीगाम और सिंध वन के साथ जुड़ा हुआ है। यह वन्यजीव अभयारण्य ‘सोनमार्ग’ की बड़ी-बड़ी बर्फीली चोटियों और सिंध नदी से घिरा हुआ है, जो कि इसकी ट्राउट और महसीर संख्या के लिए प्रसिद्ध है। थजवास ग्लेशियर पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र है, जहाँ पर्यटक ग्रीष्म ऋतु में पर्यटन पर आते हैं।

और, ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य श्रीनगर के दक्षिण-पूर्व से 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह 33°55'0"उ से 34°20'0" उ अक्षांश और 75°5'0" पू से 75°32'30" पू देशांतर के बीच स्थित है और कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिला के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र का मुख्य जीवजन्तु आकर्षण कश्मीर कस्तूरी मृग (*मॉस्कस क्यूप्रियस*), एशियाई इबेक्स (*कैप्रा सिबिरिका*), हिमालयन सेराव (*केप्रिकॉर्नीस् थार*) और हिमालयी भूरा भालू (*उर्सस आर्कटोस इसाबेलिनस*) हैं। ओवेरा-अरू अभयारण्य के वन अनेक झीलों और ग्लेशियरों से समृद्ध है, जो कि जल का बहुमूल्य स्त्रोत का काम करते हैं यही जल कई धाराओं का रुप लेकर शहर के परिधी से होते हुए ग्रामों के नीचे की ओर बहती हैं।

और, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान रॉजर्स ईटी एल., 2002 द्वारा किये गये जैव-भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार 2ए प्रांत के अधीन आता है। संशोधित चैम्पियन और सेठ (1968) के अनुसार दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पतियाँ विशिष्ट रूप से हिमालयन आर्द्र समशीतोष्ण वन, उप-अल्पाइन वन और अल्पाइन वन प्रकार की हैं और आर्द्र समशीतोष्ण पर्णपाती वन, पर्रोटिया (पोहू) झाड़ी वन, पश्चिम हिमालयन निचला स्तर ब्लू पाइन वन, पश्चिमी मिश्रित शंकुधारी वन, पर्णपाती अल्पाइन झाड़ी, पश्चिम हिमालयन उप-अल्पाइन ब्रीच-रहोडोडेनड्रोन वन, ड्वॉर्फ जूनीपर झाड़ी, शुष्क समशीतोष्ण झाड़ी के रुप में वर्गीकृत की जा सकती हैं।

और, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के कुछ विशिष्ट वनस्पतियों और जंतुओं में *उल्मस वाल्लिचिअना, सैलिक्स अल्बा, पोपुलुस स्पा., प्रूनस आर्मेनिया, क्यूरकस रोबर, रोबिना प्सेउडोअकेशिया, पेरोंटीओपसिस जेकाइमोंटिअना, रोसा वेब्बिअना, रूबस निवेउस, ऐस्कुलुस इंडिका, जगलांस रेगिया, पाइनस ग्रिफ्फिथी*, एंगारडा (*लयचनिस्कोर्नारिया* (एल.) डीसर)., बाजारदांतु (*पोटेंटिल्ला अट्रोसांगुइंनालोड्.), तरूम्बादु* (*पिक्रिशियरकीओइड्स),* घुड़खुरा (*तुस्सिलागो फार्फेरा), डोडड* (*कोडोनोप्सिस ओवेटे), रत्नजोत* (*ओनोसमाहिस्पिडम वल्लीचेक्स), कश्मीर रेड हिरन* (*केरवुस हंग्लुहांगलु.*), कश्मीरी कस्तूरी हिरन (*मोस्चुस कुपरेउस*), साधारण तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), हिमालयन ब्राउन भालू (*उरसुस अरक्टोस इसाबेल्लिनुस*), एशियाई ब्लैक भालू (*उरसुस थिअटानुस*), कश्मीर ग्रे लंगूर (*सेम्नोपिथेकस अजाक्स*), हिमालयन ग्रिफ्फोन गिद्ध (*जिप्स हिमालयेंसिस*), बिग्रडिड गिद्ध (*गयपेटस बारबेटस*), कश्मीर फ्लाईकैचर *(फिकेडुला सुबरूबरा),* आदि आते हैं।

और, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र सालभर, अधिकतर मोटी बर्फ से आच्छादित रहता है। वृक्ष प्रजातियां जैसे *एबिइस पिंड्रो, बेतुला उलटिलिस, जगलांस रेगिया और पिकेया स्पा.* पुष्प वाले प्रमुख वृक्षों की श्रेणी में यह क्षेत्र *इंडीगोफेरा हेतरांथ, बेरबेरिइस लयकिकम,* और *रोसा वेब्बिअना* जैसी मुख्य झाड़ियों से घिरा हुआ है। क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण जीवजंत प्रजातियों में ग्रे लंगूर (*प्रस्बटीस इंटेल्लुस),* रहेसुस मकाक (*मकाका मुलाट्टा),* साधारण तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), स्नो तेंदुआ *(पेन्थेरा यूनिका),* तेंदुआ बिल्ली *(फेलिस*

बेन्गालेंसिस), सियार (*कैनिस ऑरियस*), रेड लोमड़ी (*वुल्पेस वुल्पेस)*, हिमालयन ब्राउन भालू (*उरसूस अरक्टोस)*, एशियाटिक ब्लैक भालू (*उरसूस थिबेटानुस)*, येल्लो थ्रोटेड मार्टीन (*मारटीस फ्लाविगुला),* लॉग-टेल्ड मर्मोट (*मन्नोटा बोबक)*, रोलेस पिका (*ओचोटोना रोयलेइ)*, एशियाई इबेक्स (*कपरा सिबरीका)*, कश्मीर मुस्क हिरन *(मोस्चुस कुपरेउस)*, आदि आते हैं।

और, ऊंचाई, आकृति और मृदा में भिन्नता के कारण, ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पतियों में विविधता देखने को मिलती है। अभयारण्य की वनस्पति मुख्यत: नालों के निकट निचला ऊंचे स्थान में कैल (पाइनस *ग्रिफ्फिथी*) के साथ फर (एबीस् पीड्राव) है। भौतिक विविधताओं के कारण यहाँ तटीय वनस्पति (औसत समुद्र तल से 1600-2300 मीटर ऊँचाई पर), शंकुधारी वन (औसत समुद्र तल 2300-3000 मीटर), अल्पाइन झाड़ी और चरागाह (औसत समुद्र तल से 3000-3500 मीटर की ऊँचाई पर), रॉक फेस (औसत समुद्र तल 3500 मीटर की ऊँचाई पर) पाए जाते हैं। ओवेरा-अरू वन औषधीय बहुमूल्य पौधों की प्रजातियों से भी समृद्ध है। जैसे वन इस क्षेत्र में उगने वाले वन में कुछ औषधीय पौधें भी होते हैं जिसमें अकोनितम हेटेरोफयल्लुम, *अरनेबिया बेंथामि, अरटेमिसिया अबसिंथियम, बेरबेरिस* लीसियम, *बेरगेनिया लिंगुलाटा, डातुरा स्तरामोनियम, डोओस्कोर अडेलटोआईडिया, लवातेरा कासमेरिअना, सौस्सुरेया कोस्तुस और ताक्यस वाल्लिचिना* आते हैं।

और, ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य रॉजर्स और पनवार (1998) के द्वारा किए गए जैव-भौगोलिक सीमांकन के अनुसार हिमालयन जोन के उत्तर-पश्चिम प्रांत (प्रांत 2ए) के अंतर्गत आता है। इस प्रांत में संपूर्ण कश्मीर घाटी आती है और समशीतोष्ण और उप-उष्णकटिबंधीय जलवायु कश्मीरी स्टैग एवं हंगुल (*केरवुस हंगलु हंगलु)*, कश्मीर मस्क हिरन (*मोस्चुस कुपरेउस)*, हिमालयन ब्लैक भालू *(उरसूस थिबेटानुस)*, हिमालयन ब्राउन भालू (*उरसुस अरक्टोस*), सामान्य तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्यूस*), हिमालयन ग्रे लंगूर (*प्रेस्बटीस अजाक्स)*, रीसस मकाक (*मकाका मुलाट्टा)*, रेड लोमड़ी (*वुल्पेस वुल्पेस)*, ब्राउन मुस्क श्रेव (*करोकिड़ुरा मुरीना)*, येल्लो थ्रोटेड मार्टीन (*मारटेस फ्लाविगुला)*, लॉग-टेल्ड मर्मोट *(मारमोट हिमालियना),* कश्मीर वेमपॉयर(*मेरगाडेर्मा स्पेकटरूम)*, लेइसलेर हेयरी–अरमेड बेट *(निकतालुस लेस्सलेरी)*, कश्मीर हाउस रेट (*रट्टुस रट्टुस)*, बिरच माउस (*सिक्इस्टा इंडिका)*, कश्मीर फ्लाई गिलहरी (*इओगलाउकोमयस फिम्बरिअतुस)*, सेरोव (*कापरिकोरनिस सुमात्रेनिस)*, रोयले पिका (*ओचोटोना रोयेली), हिमालयन ग्रिफ्फोन गिद्ध* (*जिप्स हिमालयेंसिस*), बियरडिड गिद्ध (*गयपैतुस बारबेतुस*), कश्मीर फ्लाईकैचर (*फिकेडुला सुबरूबरा*) आदि, का यहाँ पाया जाना इसकी विशेषता है।

और, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य और थजवास वन्यजीव (बालटाल) अभयारण्य की प्राकृतिक सीमाएं एक दूसरे से खुले भू-समतलीय स्तर पर मिलती हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की सीमा उत्तर और उत्तर-पूर्वी भाग पर ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलती है जबकि ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा उत्तर और उत्तर-पूर्वी भाग पर थजवास वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलती है। यह संरक्षित क्षेत्र समृद्ध जैव-विविधता और पशुओं, पक्षियों और वनस्पति की कुछ महत्त्वपूर्ण/ स्थानिक प्रजातियों की अच्छी खासी जनसंख्या से मिलकर बना है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन इन क्षेत्रों को एक ही इकाई बनाता है और इससे इन क्षेत्रों में जैव- विविधता के विकास के लिए जीन प्रवाह करने में मदद मिलेगी।

और, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमा इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों को और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 200 मीटर से 13.15 किलोमीटर तक विस्तारित, क्षेत्र को **दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन** (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट है, पर्यावरण की क्वालिटी की सुरक्षा और सुधार करने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने और समाप्त करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करें, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 200 मीटर से

2. 13.15 किलोमीटर तक है और इसका क्षेत्रफल 448.00 वर्ग किलोमीटर का बनता है और विभिन्न दिशाओं (किलोमीटर) में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार निम्नानुसार है:-

दिशा	विस्तार	अवस्थान
पश्चिम	200 मीटर	पीडब्ल्यूडी जल टैंक और जलाशय
दक्षिण	13.15 किलोमीटर	खेव सीआर सीमा
दक्षिण पश्चिम	5.0 किलोमीटर	खानमोह सीआर सीमा
दक्षिण पूर्व	1.0 किलोमीटर	ममल वन, लिडुर नाला
पूर्व	1.0 किलोमीटर	निचांग, अल्पाइन चरागाह
उत्तर पूर्व	1.0 किलोमीटर	सेर्बल ग्राम, सिंध वन
उत्तर	1.0 किलोमीटर	सिंध का वन
उत्तर पश्चिम	4.0 किलोमीटर	लिडवास, अल्पाइन चारागाह दारा सीआर सीमा

(2) दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र क्रमशः **उपाबंध –IIक, उपाबंध –IIख, उपाबंध –IIग, उपाबंध –IIघ और उपाबंध –IIङ** के रूप में संलग्न हैं।

(4) दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू- निर्देशांकों की सूची **उपाबंध -III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं पर भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध – IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और आंचलिक महायोजना तैयार और सूचित करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए है तथा सुसंगत केंद्रीय और तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के अनुसार तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी बातों को समाकलित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, यथा:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(x) नगरपालिका;

(xi) पंचायती राज; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो तथा सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी-अनुकूल हो का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरे से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार तथा किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास को भी सुनिश्चित और अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज प्रस्तावित और सूचित करेगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यो का निर्वहन कर सके ।

3. **संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अथार्त्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर, ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न के लिए, कृषि और अन्य भूमि के संपरिवर्तन को मानीटरी समिति की सिफारिश पर और प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग जिनके अंतर्गत ग्राम उद्योग भी है; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास भी है; और

(v) पैराग्राफ-4 में दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक शहरी योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अन्य नियमों एवं विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भूमि के अभिलेखों में उपसंजात किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारे जाने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उपपैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के क्रियाकलापों के द्वारा पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलस्त्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण की योजना सम्मिलित की जाएगी और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा ऐसे क्षेत्रों में या उनके निकट विकास क्रियाकलापों प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) यह पर्यटन महायोजना संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के पर्यटन विभाग द्वारा ही संघ राज्यक्षेत्र के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का ही एक घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) नए होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना सिर्फ पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए केवल पूर्व-परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) एक समिति जिसमें प्रधान सचिव (पर्यावरण और वन), अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण समिति, आईआईटी, जम्मू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पारिस्थितिकी और पर्यावरण तथा नागरिक निर्माण के एक-एक विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे और होटल और रिसॉर्ट्स के नए निर्माण के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा या उपायों का सुझाव देने के लिए पर्यावरण और वन विभाग के एक प्रतिनिधि का गठन किया जाएगा, जो पर्यटन महायोजना का एक घटक होगा। उक्त समिति भूस्खलन, ढलान स्थिरता और भूकंपीयता पर जोखिम निर्धारण अध्ययन करेगी और अपनाए जाने वाले पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित निर्माण उपायों की सिफारिश करेगी।

(iii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार ही किया जाएगा;

(iv) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार के लिए वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाए, जल प्रपात, झरने, धारा मार्गो, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, अश्वरोहण

IndiaCode

मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनके सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना भी तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना भी तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण के अधिन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए पालन किया जाएगा और समय समय पर यथासंशोधित किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और तद्धीन बनाए गए नियमो के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के और तद्धीन बनाए गऐ नियमो के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के और तद्धीन बनाए गऐ नियमो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के और समय समय पर यथासंशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के और तद्धीन बनाए गऐ उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय गतिविधियां.-** यातायात की यानीय गतिविधियां पर्यावास-अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और संघ राज्यक्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और तद्धीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण लागू विधियों के अनुपालन में किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुज्ञात नहीं होगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमो और पर्यावरण, वन और वन्यजीव से संबंधित भारत सरकार की अन्य अधिसूचनाएं, विधियों और अधिनियम, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में, संख्यांक 1533 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2006 और ऐसी रीति में तत्समय प्रवृत विधियों के उपबंधो द्वारा शासित होंगे और समय-समय पर यथा संशोधित नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट किए गए है, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	विवरण
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसमें मकानों के निर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में आदेश का अनुपालन होगा और 2003 के आईए सं. 1000 का निर्णय दिनांक 03-06-2022 और तत्पश्चात आईए सं. 131377 का निर्णय दिनांक 26-04-2023 और 28-04-2023 को हुआ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगीः परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।

3.	बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	नैसर्गिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं होगी ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु, गुब्बारें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस्, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	प्रतिषिद्ध।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	नए होटलों और रिसोर्टों का निर्माण और विद्यमान का विस्तार सख्ती से अनुमोदित महायोजना के अनुसार होगा, जो वन्य पशु के संचालन पर कोई निर्बंधन नहीं होने वाले पर्यावासों की देखभाल करता है और पैरा 6 के उपपैरा (ङ) में विहित उपबंधों के अनुरूप है।
11.	निर्माणकारी क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, उपरोक्त क्रम संख्यांक 10 में यथाविनियमित नए होटलों और रिसोर्टों से भिन्न किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए निर्माण करने की अनुज्ञा भवन उपविधियों के अनुसार दी जा सकेगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित निर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही किये जा सकेंगे और ऐसे क्रियाकलाप कम से कम ही किये जायेंगे।

IndiaCode

		(ख) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) संघ राज्यक्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं हो सकेगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या संघ राज्यक्षेत्र के अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शयनात्मक उपाय किए जाएंगे।
18.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।
21.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

MyJiaCode

23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
24.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों और पैरा 3 (3) के अनुसार विनियमित होगा ।
28.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर ऊर्जा इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

IndiaCode

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए मानीटरी समिति.- इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए समिती एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात:

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
1.	संभागीय आयुक्त, कश्मीर	अध्यक्ष, पदेन;
2.	जम्मू और कश्मीर के संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित किए जाने वाले पारिस्थितिकी और पर्यावरण का एक विशेषज्ञ जिसे प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा।	गैर सरकारी सदस्य;

3.	जम्मू-कश्मीर के संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा।	गैर सरकारी सदस्य;
4.	जम्मू और कश्मीर के संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित किए जाने वाले जैव विविधता का एक विशेषज्ञ जिसे प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।	गैर सरकारी सदस्य;
5.	उपायुक्त, श्रीनगर	सदस्य, पदेन;
6.	उपायुक्त, गंदेरबल	सदस्य, पदेन;
7.	उपायुक्त, अंनतनाग	सदस्य, पदेन;
8.	उपायुक्त, पुलवामा	सदस्य, पदेन;
9.	नगरपालिका उपायुक्त, श्रीनगर	सदस्य, पदेन;
10.	निदेशक पर्यटन, कश्मीर	सदस्य, पदेन;
11.	उपाध्यक्ष, श्रीनगर विकास प्राधिकरण	सदस्य, पदेन;
12.	प्रादेशिक निदेशक, जम्मू-कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रीनगर	सदस्य, पदेन;
13.	वरिष्ठ नगर नियोजक, कश्मीर	सदस्य, पदेन;
14.	प्रभागीय वन अधिकारी, सिंध वन प्रभाग	सदस्य, पदेन;
15.	प्रभागीय वन अधिकारी, लिड्डेर वन प्रभाग	सदस्य, पदेन;
16.	प्रभागीय वन अधिकारी, अवंतीपुरा	सदस्य, पदेन;
17.	प्रभागीय वन अधिकारी, शहरी वानिकी श्रीनगर	सदस्य, पदेन;
18.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सोनमर्ग विकास प्राधिकरण	सदस्य, पदेन;
19.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पहलगाम विकास प्राधिकरण	सदस्य, पदेन;
20.	वन्यजीव वार्डन, केन्द्रीय प्रभाग	सदस्य, पदेन;
21.	वन्यजीव वार्डन, दक्षिण प्रभाग	सदस्य, पदेन;
22.	प्रादेशिक वन्यजीव वार्डन, कश्मीर	सदस्य सचिव, पदेन;

IndiaCode

6. मानीटरी समिति के कार्य:- (1) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते है सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के, मानीटरी समिती द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते है सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के, मानीटरी समिती द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या संबद्ध उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मामले दर मामले के आधार पर मानीटरी समिति संबद्ध विभागों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमो या संबंद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकती है।

(5) मानीटरी समिति **उपाबंध-V** में विनिर्दिष्ट निदर्शन पत्र के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे।

7. **अतिरिक्त उपाय**:- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्यक्षेत्र सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

[फा. सं. 25/19/2020-ईएसजेड]

डॉ. एस. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी

उपाबंध- I

संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के आस पास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

दाचीगाम राष्टीय उद्यान. ओवेरा - अरु और थाजवास वन्यजीव अभयारण्य के आसपास प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं का भौतिक रूप से वर्णन (जैसे सड़कें, पहाड़ियाँ, नदी निकाय आदि) सीमा पर एक बिंदु से शुरू करके और फिर दक्षिणावर्त दिशा में चलते हुए सीमा और प्रारंभिक बिंदु पर वापस पहुँचने का वर्णन इस प्रकार है:

क्र. सं.	मानचित्र पर दक्षिणावर्त अंकित बिंदु (उपाबंध-IIख)	अक्षांश	देशांतर	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी	विवरण
1	ए79	34° 3' 15.251" उ	75° 8' 0.671" पू	4000 मीटर	त्राल वन्यजीव अभयारण्य सीमा
2	ए80	34° 2' 58.075" उ	75° 4' 43.320" पू	5800 मीटर	त्राल वन्यजीव अभयारण्य सीमा
3	ए78	34° 3' 54.827" उ	75° 10' 9.078" पू	1000 मीटर	सीओ 22/त्राल वन क्षेत्र, पंबाच खोड
4	ए77	34° 3' 32.136" उ	75° 11' 49.204" पू	1000 मीटर	सीओ 13/त्राल वन क्षेत्र
5	ए76	34° 0' 51.106" उ	75° 11' 47.399" पू	1500 मीटर	सीओ 24/वन क्षेत्र
6	ए75	33° 58' 40.560" उ	75° 12' 45.305" पू	1000 मीटर	सीओ 3 वन क्षेत्र, वाटवागर
7	ए74	33° 55' 59.424" उ	75° 14' 14.040" पू	1000 मीटर	सीओ 51/एल वन क्षेत्र
8	ए73	33° 55' 30.071" उ	75° 15' 57.718" पू	1000 मीटर	सीओ 50/एल, ओउर ग्राम, लिड्डुर वन
9	ए72	33° 56' 24.120" उ	75° 17' 31.265" पू	1000 मीटर	सीओ 45/एल, लिड्डुर नाला

10	ए71	33° 57' 15.929" उ	75° 18' 3.605" पू	1000 मीटर	खेलन वन
11	ए70	33° 59' 22.631" उ	75° 19' 46.479" पू	1000 मीटर	मामाल वन, लिड्डुर नाला
12	ए69	34° 0' 39.145" उ	75° 19' 30.680" पू	1000 मीटर	मामाल ग्राम लिड्डुर वन
13	ए68	34° 2' 18.510" उ	75° 18' 46.000" पू	1000 मीटर	वाचरन, लिड्डुर वन
14	ए67	34° 4' 17.693" उ	75° 20' 27.833" पू	2000 मीटर	सीओ 19/एल, वन क्षेत्र, संगम
15	ए66	34° 5' 56.905" उ	75° 22' 34.820" पू	2000 मीटर	सीओ 16, अल्पाइन चारागाह, सरनार
16	ए65	34° 6' 33.678" उ	75° 23' 43.486" पू	2000 मीटर	राज़दान नर, अल्पाइन चारागाह
17	ए64	34° 7' 17.036" उ	75° 24' 47.423" पू	2000 मीटर	सीओ 12/एल, अल्पाइन चारागाह
18	ए63	34° 7' 58.882" उ	75° 25' 23.100" पू	2000 मीटर	रबेमार्ग, अल्पाइन चरागाह
19	ए62	34° 8' 0.552" उ	75° 26' 31.540" पू	2000 मीटर	छुट दर्रा, अल्पाइन चारागाह
20	ए61	34° 7' 4.716" उ	75° 27' 28.791" पू	2000 मीटर	अस्तानमार्ग, अल्पाइन चरागाह
21	ए60	34° 5' 29.317" उ	75° 29' 6.805" पू	3500 मीटर	वहाबल टॉप, अल्पाइन चारागाह
22	ए59	34° 4' 56.071" उ	75° 32' 7.704" पू	2000 मीटर	गुइडी गली, अल्पाइन चारागाह
23	ए58	34° 6' 41.702" उ	75° 33' 43.985" पू	2000 मीटर	अल्पाइन चरागाह
24	ए57	34° 9' 16.025" उ	75° 33' 34.143" पू	1000 मीटर	निचांग, अल्पाइन चरागाह
25	ए55	34° 13' 3.553" उ	75° 28' 22.872" पू	1000 मीटर	नागिन पाथर सिंध वन
26	ए54	34° 14' 27.098" उ	75° 25' 33.864" पू	1000 मीटर	डोमेल वन, सिंध वन
27	ए53	34° 16' 48.778" उ	75° 21' 57.738" पू	1000 मीटर	सरबल ग्राम, सिंध वन
28	ए52	34° 18' 6.772" उ	75° 19' 50.204" पू	1000 मीटर	इचामार्ग सिंध वन
29	ए51	34° 18' 58.878" उ	75° 16' 46.479" पू	1000 मीटर	सिंध का वन
30	ए50	34° 18' 5.637" उ	75° 14' 56.678" पू	1000 मीटर	सिंध नदी
31	ए49	34° 17' 29.286" उ	75° 14' 31.634" पू	300 मीटर	सिंध नदी
32	ए48	34° 16' 56.159" उ	75° 14' 1.212" पू	1000 मीटर	सीओ 53/एस, अल्पाइन चारागाह
33	ए47	34° 15' 49.113" उ	75° 14' 49.986" पू	1000 मीटर	गंज वन, सिंध प्रभाग

IndiaCode

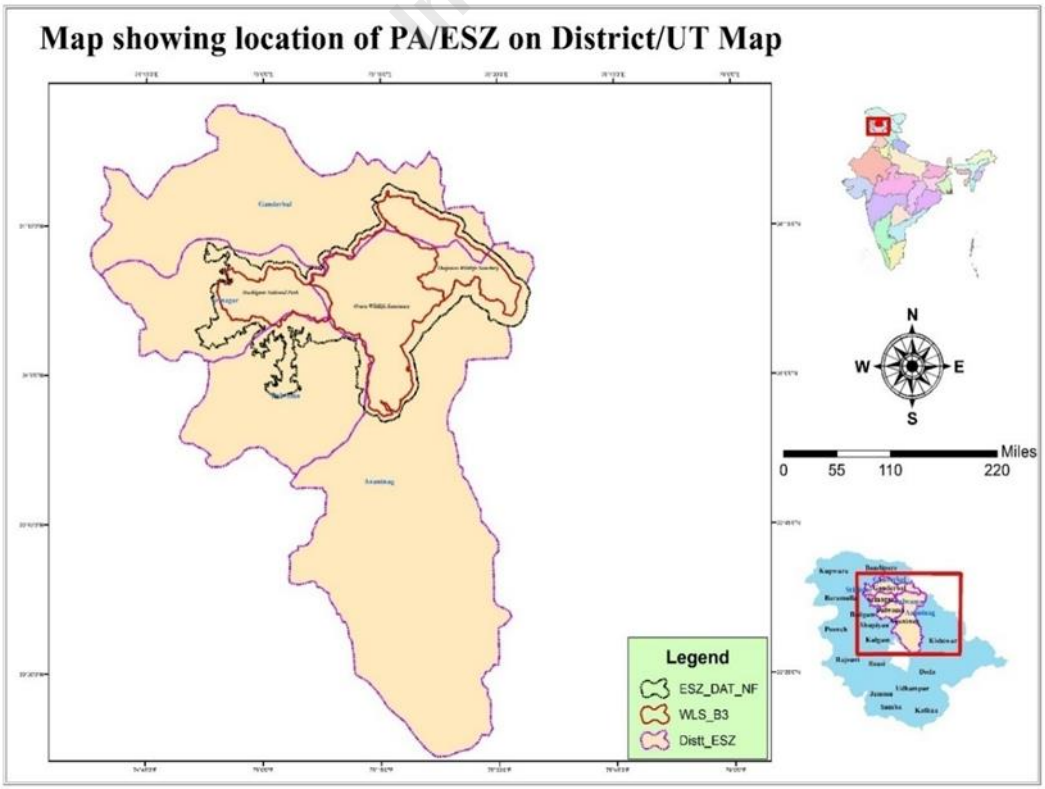
34	ए46	34° 15' 16.878" उ	75° 15' 1.176" पू	1000 मीटर	सीओ 53/एस, अल्पाइन चारागाह
35	ए45	34° 14' 37.991" उ	75° 13' 45.388" पू	1000 मीटर	सीओ 53/एस, अल्पाइन चारागाह
36	ए44	34° 14' 18.503" उ	75° 12' 42.915" पू	1000 मीटर	सीओ 53/एस, अल्पाइन चारागाह
37	ए43	34° 13' 35.740" उ	75° 11' 40.523" पू	1000 मीटर	सीओ 49/एस, अल्पाइन चरागाह
38	ए42	34° 12' 36.944" उ	75° 10' 45.661" पू	1000 मीटर	सीओ 45/एस, अल्पाइन चारागाह
39	ए41	34° 12' 46.428" उ	75° 9' 53.324" पू	1000 मीटर	सीओ 44/एस, अल्पाइन चारागाह
40	ए40	34° 12' 31.919" उ	75° 8' 33.634" पू	1000 मीटर	सीओ 41/एस, अल्पाइन चारागाह
41	ए39	34° 12' 17.483" उ	75° 7' 29.182" पू	1000 मीटर	सीओ 39/एस, अल्पाइन चारागाह
42	ए38	34° 10' 54.508" उ	75° 7' 37.519" पू	1000 मीटर	सीओ 34/एमबीएल, अल्पाइन चारागाह
43	ए37	34° 9' 44.700" उ	75° 5' 30.248" पू	1000 मीटर	होका सार, अल्पाइन चरागाह
44	ए36	34° 11' 25.897" उ	75° 3' 11.160" पू	1000 मीटर	सुरा फ़िराओ वन, सिंध
45	ए35	34° 11' 30.915" उ	75° 0' 43.381" पू	1000 मीटर	लिडवास, अल्पाइन चरागाह
46	ए34	34° 12' 58.353" उ	74° 55' 33.494" पू	4000 मीटर	लिडवास, अल्पाइन चारागाह दारा सीआर सीमा
47	ए33	34° 12' 14.645" उ	74° 53' 2.294" पू	4000 मीटर	तुलापाथर, वन दारा सीआर सीमा
48	ए32	34° 12' 0.537" उ	74° 55' 9.431" पू	2500 मीटर	दारा नाला, दारावन, वन दारा सीआर सीमा
49	ए31	34° 10' 56.846" उ	74° 55' 30.008" पू	500 मीटर	चक-ए-दारा ग्राम
50	ए30	34° 10' 30.271" उ	74° 54' 28.658" पू	200 मीटर	मुरिन्दरबाग गाँव, जल निकाय
51	ए29/1	34° 10' 16.143" उ	74° 55' 17.265" पू	200 मीटर	कृषि भूमि, नु थिड ग्राम
52	ए29	34° 9' 22.069" उ	74° 55' 46.856" पू	200 मीटर	महादेव नर, कृषि भूमि
53	ए28	34° 9' 21.172" उ	74° 55' 11.641" पू	200 मीटर	मावस कोल

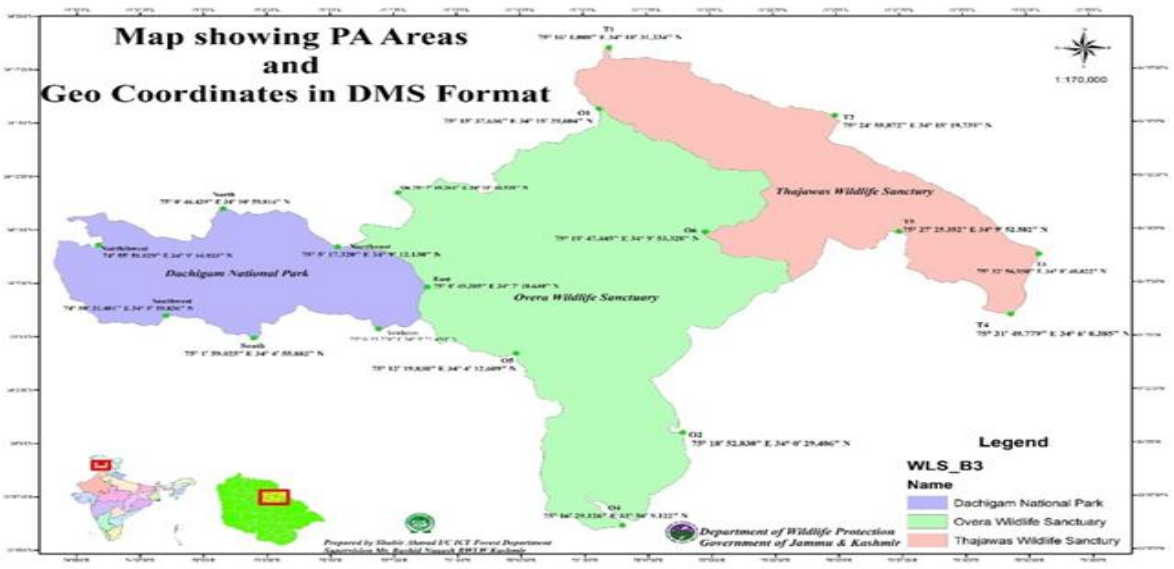
IndiaCode

54	ए27	34° 9' 38.496" उ	74° 54' 20.173" पू	200 मीटर	पीडब्लूडी जल टैंक और जलाशय
55	ए26	34° 8' 25.731" उ	74° 53' 17.089" पू	1220 मीटर	निशात सीआर सीमा
56	ए25	34° 4' 35.364" उ	74° 51' 21.879" पू	6500 मीटर	खानमोह सीआर सीमा ज़वान वन
57	ए24	34° 3' 6.963" उ	74° 54' 15.042" पू	5000 मीटर	खानमोह सीआर सीमा
58	ए23	34° 5' 0.460" उ	74° 57' 56.832" पू	1000 मीटर	खुला स्क्रब
59	ए22	34° 3' 23.601" उ	75° 0' 45.759" पू	3350 मीटर	खानमोह सीआर सीमा
60	ए21	34° 1' 32.777" उ	75° 1' 41.557" पू	6000 मीटर	ख्रेव सीआर सीमा
61	ए20	33° 57' 50.300" उ	75° 2' 12.931" पू	13150 मीटर	ख्रेव सीआर सीमा
62	ए 56	34° 11' 46.161" उ	75° 30' 28.774" पू	1000 मीटर	पंजतरनी, सिंध वन

उपाबंध-II क

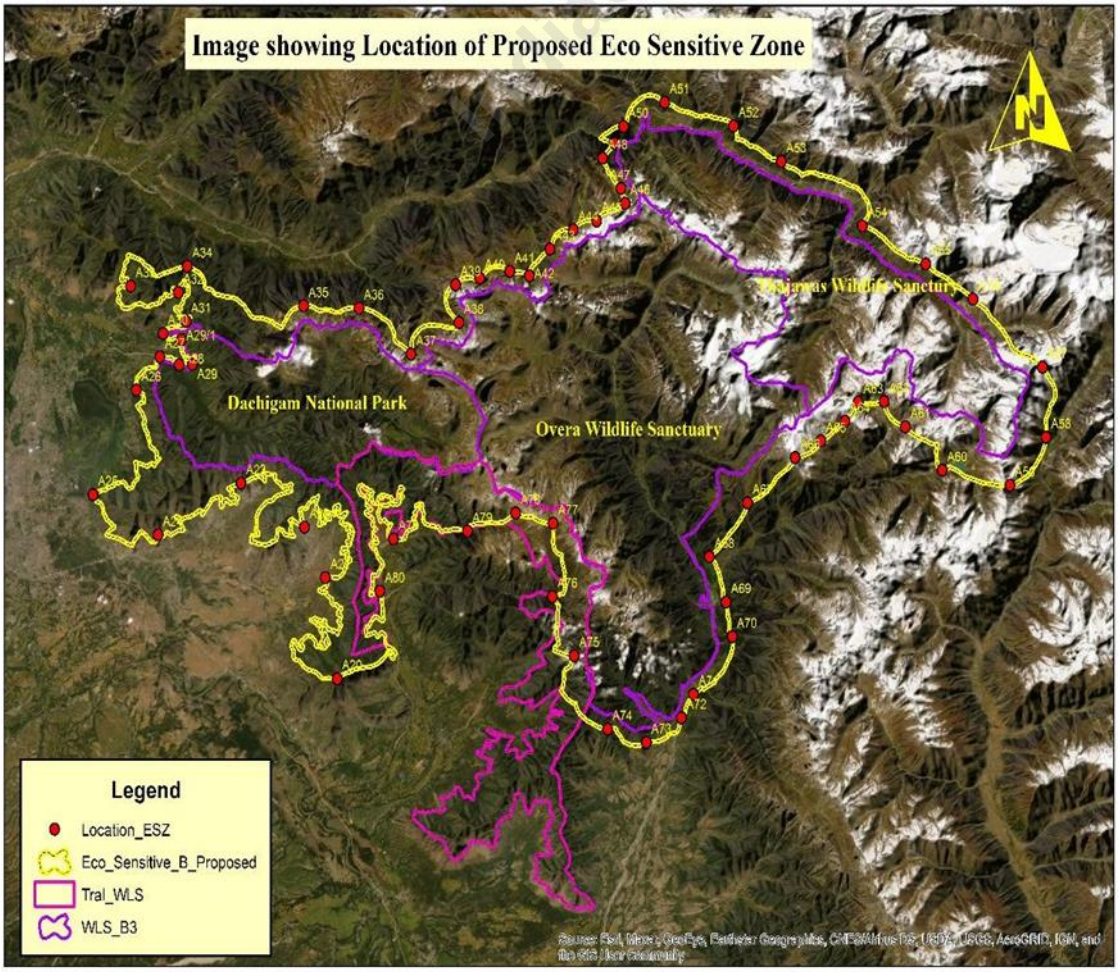
मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के आस पास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र





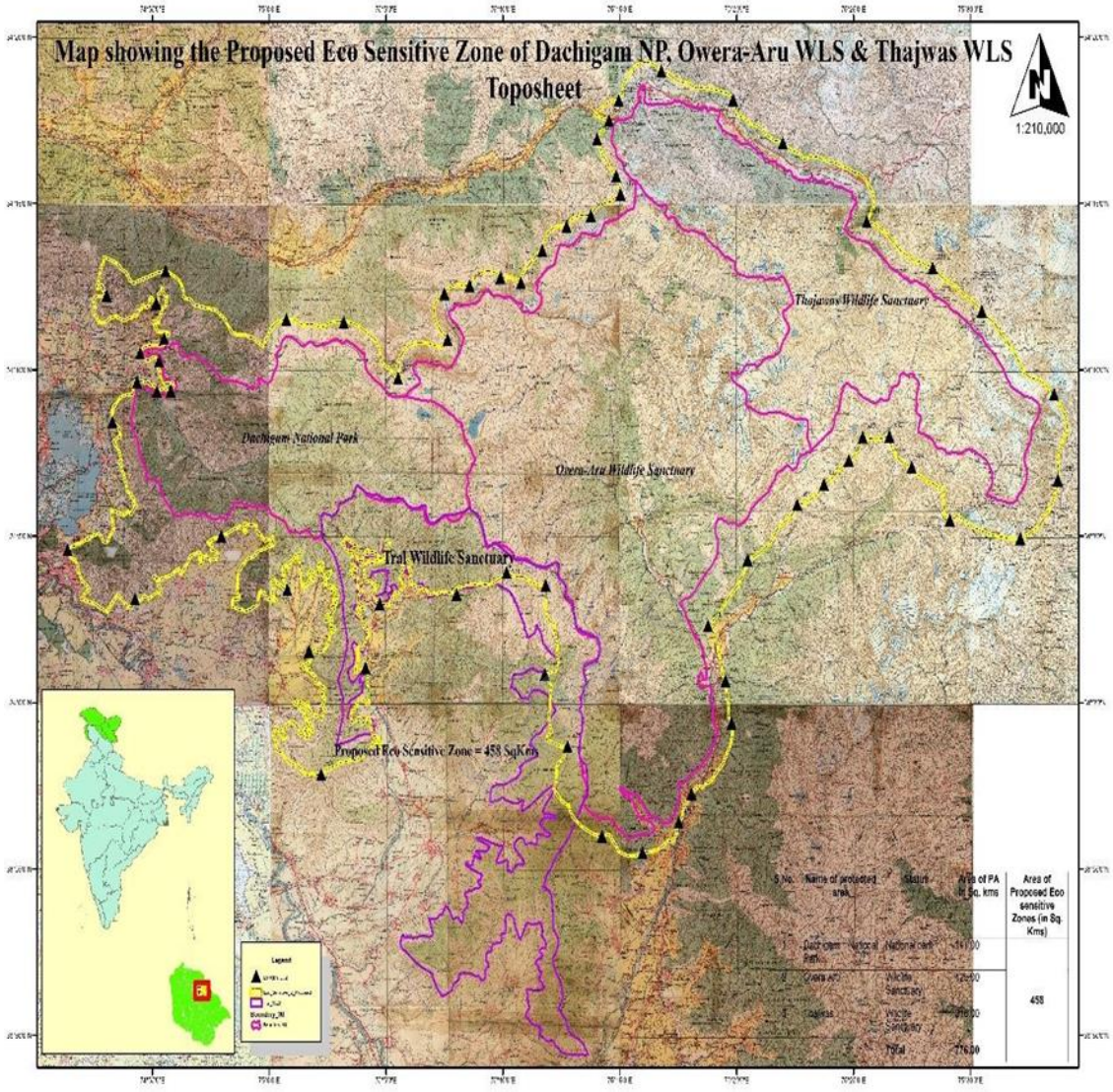
उपाबंध -II ख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा- अरू वन्यजीव अभयारण्य के आस पास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं को दर्शाने वाला सैटेलाइट मानचित्र



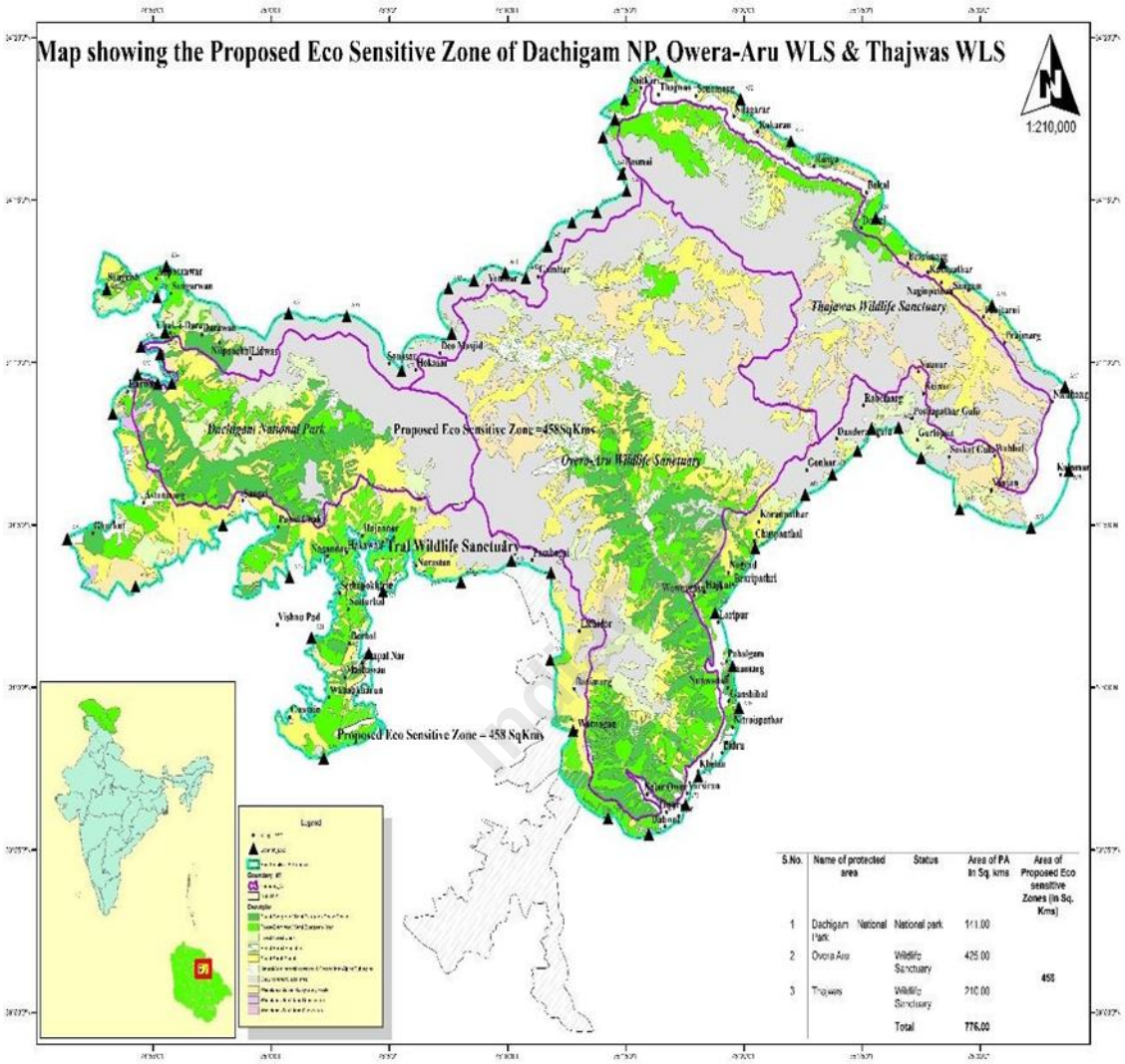
उपाबंध -II ग

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा- अरू वन्यजीव अभयारण्य के आस पास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का टोपोशीट मानचित्र



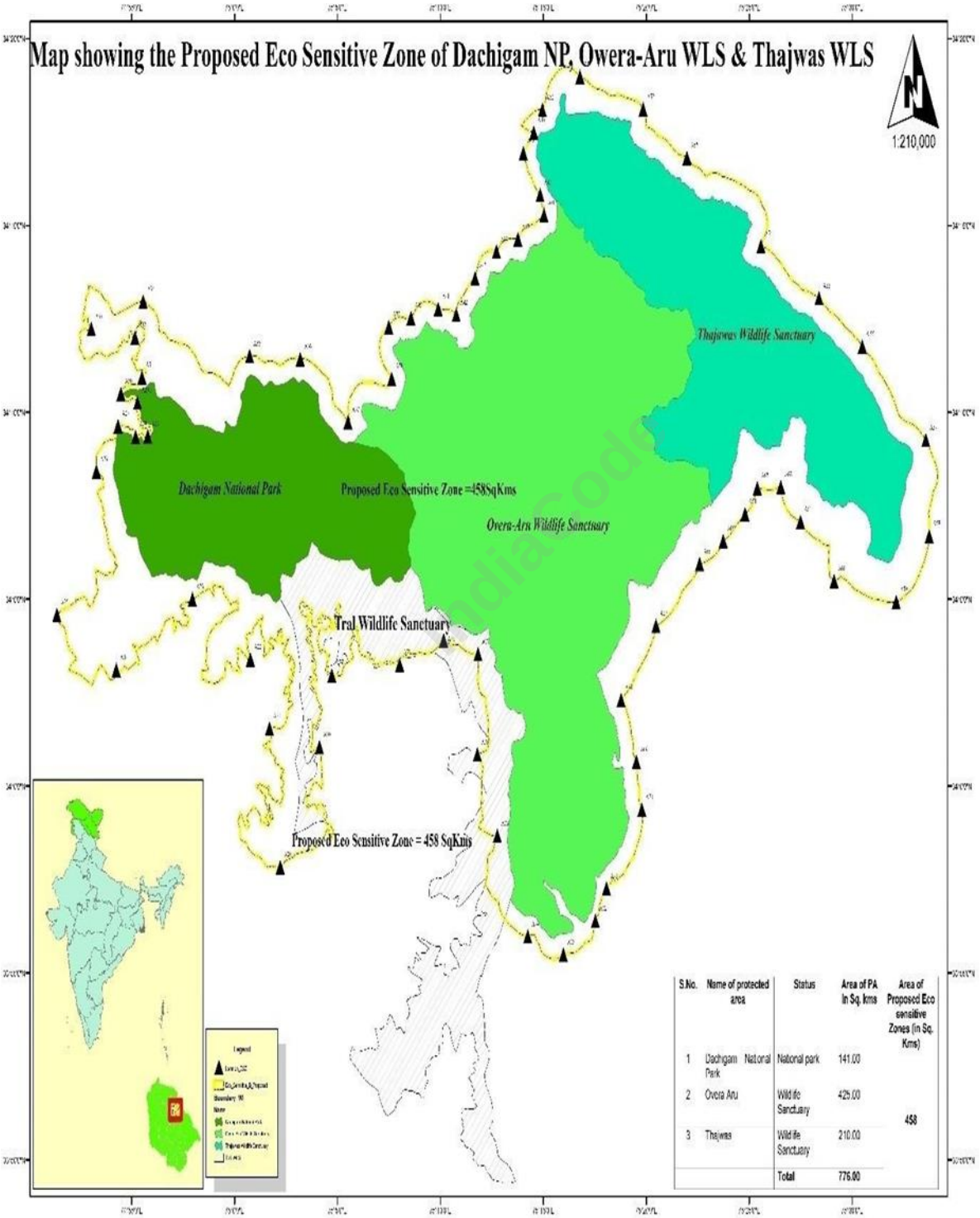
उपाबंध -II घ

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा- अरू वन्यजीव अभयारण्य के आस पास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग भूमि कवर मानचित्र



उपाबंध -II ङ

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा- अरू वन्यजीव अभयारण्य के आस पास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध -III

क. दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

क्र.सं.	जीपीएस बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1.	टी1	34⁰ 18’ 31.334” उ	75⁰ 16’ 1.008” पू
2.	टी2	34⁰ 15’ 19.739” उ	75⁰ 24’ 55.872” पू
3.	टी3	34⁰ 8’ 48.822” उ	75⁰ 32’ 56.938” पू
4.	टी4	34⁰ 6’ 0.385” उ	75⁰ 31’ 49.779” पू
5.	टी5	34⁰ 9’ 52.582” उ	75⁰ 27’ 25.352” पू
6.	ओ1	34⁰ 15’ 39.604” उ	75⁰ 15’ 37.636” पू
7.	ओ2	34⁰ 0’ 29.406” उ	75⁰ 18’ 52.83” पू
8.	ओ3	34⁰ 11’ 44.538” उ	75⁰ 7’ 40.264” पू
9.	ओ4	33⁰ 56’ 9.122” उ	75⁰ 16’ 29.126” पू
10.	ओ5	34⁰ 4’ 12.609” उ	75⁰ 12’ 19.830” पू
11.	ओ6	34⁰ 9’ 53.328” उ	75⁰ 19’ 47.445” पू
12.	उत्तर	34⁰ 10’ 59.814” उ	75⁰ 0’ 46.439” पू
13.	पूर्व	34⁰ 7’ 18.640” उ	75⁰ 8’ 49.395” पू
14.	दक्षिण	34⁰ 4’ 55.882” उ	75⁰ 1’ 59.025” पू
15.	उत्तर पश्चिम	34⁰ 9’ 16.933” उ	74⁰ 55’ 51.029” पू
16.	उत्तर-पूर्व	34⁰ 9’ 12.130” उ	75⁰ 5’ 17.320” पू
17.	दक्षिण पश्चिम	34⁰ 5’ 59.836” उ	74⁰ 58’ 31.401” पू
18.	दक्षिण-पूर्व	34⁰ 5’ 34.450” उ	75⁰ 6’ 53.738” पू

(ख) दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमाओं के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

क्र.सं	मानचित्र पर चिह्नित दक्षिणावर्त बिंदु	अक्षांश	देशांतर
1	ए79	34° 3' 15.251" उ	75° 8' 0.671" पू
2	ए80	34° 2' 58.075" उ	75° 4' 43.320" पू
3	ए78	34° 3' 54.827" उ	75° 10' 9.078" पू
4	ए77	34° 3' 32.136" उ	75° 11' 49.204" पू
5	ए76	34° 0' 51.106" उ	75° 11' 47.399" पू

IndiaCode

6	ए75	33° 58' 40.560" उ	75° 12' 45.305" पू
7	ए74	33° 55' 59.424" उ	75° 14' 14.040" पू
8	ए73	33° 55' 30.071" उ	75° 15' 57.718" पू
9	ए72	33° 56' 24.120" उ	75° 17' 31.265" पू
10	ए71	33° 57' 15.929" उ	75° 18' 3.605" पू
11	ए70	33° 59' 22.631" उ	75° 19' 46.479" पू
12	ए69	34° 0' 39.145" उ	75° 19' 30.680" पू
13	ए68	34° 2' 18.510" उ	75° 18' 46.000" पू
14	ए67	34° 4' 17.693" उ	75° 20' 27.833" पू
15	ए66	34° 5' 56.905" उ	75° 22' 34.820" पू
16	ए65	34° 6' 33.678" उ	75° 23' 43.486" पू
17	ए64	34° 7' 17.036" उ	75° 24' 47.423" पू
18	ए63	34° 7' 58.882" उ	75° 25' 23.100" पू
19	ए62	34° 8' 0.552" उ	75° 26' 31.540" पू
20	ए61	34° 7' 4.716" उ	75° 27' 28.791" पू
21	ए60	34° 5' 29.317" उ	75° 29' 6.805" पू
22	ए59	34° 4' 56.071" उ	75° 32' 7.704" पू
23	ए58	34° 6' 41.702" उ	75° 33' 43.985" पू
24	ए57	34° 9' 16.025" उ	75° 33' 34.143" पू
25	ए55	34° 13' 3.553" उ	75° 28' 22.872" पू
26	ए54	34° 14' 27.098" उ	75° 25' 33.864" पू
27	ए53	34° 16' 48.778" उ	75° 21' 57.738" पू
28	ए52	34° 18' 6.772" उ	75° 19' 50.204" पू
29	ए51	34° 18' 58.878" उ	75° 16' 46.479" पू
30	ए50	34° 18' 5.637" उ	75° 14' 56.678" पू
31	ए49	34° 17' 29.286" उ	75° 14' 31.634" पू
32	ए48	34° 16' 56.159" उ	75° 14' 1.212" पू
33	ए47	34° 15' 49.113" उ	75° 14' 49.986" पू
34	ए46	34° 15' 16.878" उ	75° 15' 1.176" पू
35	ए45	34° 14' 37.991" उ	75° 13' 45.388" पू
36	ए44	34° 14' 18.503" उ	75° 12' 42.915" पू
37	ए43	34° 13' 35.740" उ	75° 11' 40.523" पू
38	ए42	34° 12' 36.944" उ	75° 10' 45.661" पू

IndiaCode

39	ए41	34° 12' 46.428" उ	75° 9' 53.324" पू
40	ए40	34° 12' 31.919" उ	75° 8' 33.634" पू
41	ए39	34° 12' 17.483" उ	75° 7' 29.182" पू
42	ए38	34° 10' 54.508" उ	75° 7' 37.519" पू
43	ए37	34° 9' 44.700" उ	75° 5' 30.248" पू
44	ए36	34° 11' 25.897" उ	75° 3' 11.160" पू
45	ए35	34° 11' 30.915" उ	75° 0' 43.381" पू
46	ए34	34° 12' 58.353" उ	74° 55' 33.494" पू
47	ए33	34° 12' 14.645" उ	74° 53' 2.294" पू
48	ए32	34° 12' 0.537" उ	74° 55' 9.431" पू
49	ए31	34° 10' 56.846" उ	74° 55' 30.008" पू
50	ए30	34° 10' 30.271" उ	74° 54' 28.658" पू
51	ए29/1	34° 10' 16.143" उ	74° 55' 17.265" पू
52	ए29	34° 9' 22.069" उ	74° 55' 46.856" पू
53	ए28	34° 9' 21.172" उ	74° 55' 11.641" पू
54	ए27	34° 9' 38.496" उ	74° 54' 20.173" पू
55	ए26	34° 8' 25.731" उ	74° 53' 17.089" पू
56	ए25	34° 4' 35.364" उ	74° 51' 21.879" पू
57	ए24	34° 3' 6.963" उ	74° 54' 15.042" पू
58	ए23	34° 5' 0.460" उ	74° 57' 56.832" पू
59	ए22	34° 3' 23.601" उ	75° 0' 45.759" पू
60	ए21	34° 1' 32.777" उ	75° 1' 41.557" पू
61	ए20	33° 57' 50.300" उ	75° 2' 12.931" पू
62	ए 56	34° 11' 46.161" उ	75° 30' 28.774" पू

उपाबंध -IV

भू-निर्देशांकों के साथ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले ग्राम की सूची

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्राम/नगर:

सारणी कः भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची (दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान)

दिशा	ग्राम का नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
पश्चिम	हरवान	34° 9' 6.755" उ	74° 53' 55.414" पू
उत्तर-पश्चिम	संगारवान	34° 12' 7.839" उ	74° 55' 44.493" पू

	अलीपतांवार	34° 12' 34.883" उ	74° 55' 7.277" पू
	संगरिश	34° 12' 23.998" उ	74° 53' 1.689" पू
	नीलपंचाल	34° 10' 36.535" उ	74° 57' 48.842" पू
	लिडवास	34° 10' 7.469" उ	74° 59' 6.327" पू
	सोनासर	34° 9' 58.283" उ	75° 4' 59.318" पू
	चक-ए-दारा	34° 10' 55.184" उ	74° 55' 42.793" पू
	दारावान	34° 10' 50.716" उ	74° 57' 3.790" पू
दक्षिण-पूर्व	नारस्तान	34° 3' 44.756" उ	75° 6' 8.078" पू
	परांगोम	34° 4' 37.377" उ	75° 5' 10.638" पू
	ज़ुआस्तान	34° 4' 28.826" उ	75° 4' 43.266" पू
	हजन्नार	34° 4' 40.119" उ	75° 3' 51.195" पू
दक्षिण	हकावन	34° 4' 9.288" उ	75° 3' 11.158" पू
	अरपाल नर	34° 0' 45.312" उ	75° 3' 50.430" पू
	वहाबखारून	33° 59' 41.933" उ	75° 2' 26.015" पू
	मशवां	34° 0' 19.134" उ	75° 3' 7.192" पू
दक्षिण	सांगरी	34° 5' 44.981" उ	74° 58' 47.442" पू
दक्षिण	पहल चक	34° 4' 57.139" उ	75° 0' 16.550" पू
दक्षिण-पूर्व	गौसाईं	33° 59' 5.227" उ	75° 0' 46.357" पू
उत्तर-पूर्व	दरबल	34° 1' 21.075" उ	75° 3' 18.698" पू
	सुत्तुरबल	34° 2' 25.226" उ	75° 3' 15.799" पू
	सेथापोखिरिन	34° 2' 54.372" उ	75° 2' 53.756" पू
	नागंदर	34° 4' 2.450" उ	75° 2' 22.903" पू
	विष्णु पद	34° 1' 56.086" उ	75° 0' 15.121" पू
	होकासर	34° 9' 46.028" उ	75° 6' 6.465" पू
दक्षिण-पश्चिम	घरकुट	34° 4' 45.188" उ	74° 52' 26.657" पू
	चश्मा शाही	34° 5' 4.522" उ	74° 53' 19.845" पू
	अस्तानमार्ग	34° 5' 41.483" उ	74° 54' 35.626" पू

सारणी खः भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची (ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य)

दिशा	ग्राम का नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
उत्तर-पूर्व	गोनहर	34° 6' 41.460" उ	75° 22' 38.632" पू
	कोरानपत्थर	34° 5' 6.212" उ	75° 20' 37.691" पू

IndiaCode

	चुस्पनथल	34° 4' 30.433" उ	75° 20' 25.571" पू
	नागिनपथरी	34° 3' 48.163" उ	75° 19' 55.467" पू
	नगराड	34° 3' 32.064" उ	75° 19' 20.233" पू
	ज़राजत्सक	34° 3' 14.452" उ	75° 18' 25.916" पू
	हजकुट	34° 2' 56.095" उ	75° 18' 19.490" पू
	बरारीपथरी	34° 3' 9.923" उ	75° 19' 31.748" पू
	ज़मबारुब	34° 3' 4.085" उ	75° 19' 1.421" पू
	वोवुर्गसु	34° 2' 49.620" उ	75° 17' 52.905" पू
पूर्व	लारीपुर	34° 2' 0.264" उ	75° 18' 54.076" पू
	पहलगाम	34° 0' 48.271" उ	75° 19' 15.500" पू
दक्षिण-पूर्व	कौमार्ग	34° 0' 21.628" उ	75° 19' 19.049" पू
	नुनवानाह	33° 59' 59.090" उ	75° 19' 18.119" पू
	गांशीबल	33° 59' 34.662" उ	75° 19' 21.691" पू
	नाइट्रोइस्पाथर	33° 58' 46.269" उ	75° 19' 31.091" पू
	रकीदार	33° 58' 18.367" उ	75° 19' 16.612" पू
	लिडू	33° 57' 59.147" उ	75° 19' 3.859" पू
	खेलन	33° 57' 25.722" उ	75° 18' 3.718" पू
दक्षिण	वरसिरन	33° 56' 44.701" उ	75° 17' 35.401" पू
	लार	33° 56' 2.720" उ	75° 17' 14.693" पू
	ओवर	33° 56' 10.072" उ	75° 16' 43.168" पू
	नालारओवुर	33° 56' 42.348" उ	75° 15' 53.970" पू
	दाह्वोट	33° 55' 43.079" उ	75° 16' 39.136" पू
दक्षिण-पश्चिम	वटवागन	33° 58' 39.156" उ	75° 12' 55.367" पू
	बानीमार्ग	33° 59' 57.120" उ	75° 12' 48.798" पू
	लिचिडोर	34° 1' 43.928" उ	75° 13' 2.038" पू
	पम्बागाई	34° 3' 55.140" उ	75° 11' 1.623" पू
	पंबाछखोद	34° 4' 28.345" उ	75° 9' 52.002" पू
उत्तर	देव मस्जिद	34° 10' 17.132" उ	75° 7' 8.045" पू
	यमहर	34° 12' 21.636" उ	75° 9' 7.605" पू
	गुंबर	34° 12' 38.221" उ	75° 11' 16.754" पू

IndiaCode

सारणी गः भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची (थजवास वन्यजीव अभयारण्य)

दिशा	ग्राम का नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
उत्तर – पूर्व	शिटकारी	34° 18' 27.051" उ	75° 15' 37.234" पू
	थाजवास	34° 18' 14.630" उ	75° 16' 22.825" पू
उत्तर	सोनमर्ग	34° 18' 12.004" उ	75° 17' 57.697" पू
उत्तर-पश्चिम	नीलागरार	34° 17' 33.985" उ	75° 19' 33.272" पू
	कोकरण	34° 17' 5.503" उ	75° 20' 34.803" पू
	रंगा	34° 16' 1.997" उ	75° 22' 56.646" पू
	बालटाल	34° 15' 13.873" उ	75° 25' 10.132" पू
	डोमेल	34° 14' 8.346" उ	75° 24' 57.546" पू
	ब्रारिमार्ग	34° 13' 2.859" उ	75° 26' 55.023" पू
	कुठपाथर	34° 12' 47.019" उ	75° 27' 46.960" पू
	नागिनपाथर	34° 12' 27.517" उ	75° 28' 20.634" पू
	संगम	34° 12' 8.537" उ	75° 28' 47.432" पू
पूर्व	पंजतरणी	34° 11' 24.006" उ	75° 30' 7.580" पू
	प्रजमार्ग	34° 10' 36.596" उ	75° 31' 0.492" पू
दक्षिण-पूर्व	निछंग	34° 8' 47.776" उ	75° 33' 2.310" पू
	कैनमार	34° 6' 33.065" उ	75° 33' 22.637" पू
	वॉजन	34° 6' 4.290" उ	75° 30' 27.261" पू
	वाहबल	34° 7' 8.131" उ	75° 30' 35.322" पू
	सास्काटगुलु	34° 7' 5.742" उ	75° 28' 40.851" पू
	गुरलोपुन	34° 7' 37.227" उ	75° 27' 19.300" पू
दक्षिण	पोशापाथरगुलु	34° 8' 16.873" उ	75° 27' 7.015" पू
	नौनार	34° 9' 43.038" उ	75° 27' 22.340" पू
दक्षिण-पश्चिम	किनार	34° 9' 2.534" उ	75° 27' 35.277" पू
	रबेमार्ग	34° 8' 40.610" उ	75° 25' 2.823" पू
	डांडेरांगुलु	34° 7' 39.144" उ	75° 23' 54.155" पू

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रुप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति ।

IndiaCode

4. भू-अभिलेखों में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रुप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार।(ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन फाईल की गई शिकायतों का सार ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2024

S.O. 2002(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4227(E), dated the 26th September, 2023, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 26th September, 2023;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons in response to the said draft notification have been considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary is spread over an area of 776 sq.km and is located in the Srinagar, Ganderbal and Anantnag Districts in Kashmir of the Union territory of Jammu and Kashmir;

AND WHEREAS, the Dachigam National Park, comprising an area of 141 sq.km. has been notified as National Park, *vide* notification No. S.R.O:134, dated the 10th April, 1990 and the Overa Aru Wildlife Sanctuary comprising an area of 425 sq.km has been notified as Wildlife Sanctuary *vide* S.R.O: 154 dated the 19th March, 1987 and Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary comprising an area of 210 sq.km has been notified as Wildlife Sanctuary *vide* S.R.O: 156 dated the 19th March, 1987;

AND WHEREAS, the Dachigam National Park is located at a distance of 21 km, North-East from Srinagar city. The park lies in the great Zanskar mountain range between altitudes of 1600 metres to 4250 meters above mean sea level and forms the North-West branch of the Central Himalayan axis. The Dachigam is famous for harbouring the last viable and endemic population of Hangul (Kashmir red deer), the only abode left in South-East Asia. The park has the prestige to be the recipient of the award for the best managed National Park in the country;

AND WHEREAS, the Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary is located at a distance of 105-kilometer North-East from Srinagar. The sanctuary lies between 34^{0}37’ N Latitude and 74^{o}29’ to 74^{o}36’ E Longitude and covers an altitudinal range of 3,015 m to 5,466 m above mean sea level. It comprises of forest compartment numbers from 56/S to 62/S of Sindh Forest Division. The main faunal attraction of this area is the Kashmir musk deer (*Moschus cupreus)* and Himalayan brown bear (*Ursus arctos isabellinus)*. The sanctuary is connected with other important wildlife areas, like Aru, Upper Dachigam and the Sindh Forest. The Wildlife Sanctuary is flanked by the large snow laden peaks of ‘Sonamarg’ and the Sindh River, which is famous for its trout and mahseer population. Thajwas glacier is one of the tourist attractions visited by tourists in the summer months;

AND WHEREAS, the Overa-Aru Wildlife Sanctuary is located at a distance of 76 kilometers from South-East of Srinagar. It lies between 33^{o}55'0"N to 34^{o}20'0" N Latitude and 75^{o}5'0" E to 75^{o}32'30" E Longitude and falls in the Anantnag District of the Kashmir Valley. The main faunal attraction of this area is the Kashmir musk deer (*Moschus cupreus*), Asiatic Ibex (*Capra sibirica*), Himalayan Serow (*Capricornis thar*) and Himalayan brown bear (*Ursus arctos isabellinus*). The forests of Overa-Aru sanctuary are blessed with a number of lakes and glaciers, which happen to be invaluable sources of water, feeding numerous streams that flow down into the villages situated near the periphery;

AND WHEREAS, the Dachigam National Park comes under 2A province of bio-geographic classification as suggested by Rodgers et al., 2002. As per revised Champion and Seth (1968), the vegetation of Dachigam National

Park is typically Himalayan moist temperate forest, sub-alpine forest and alpine forest type and can be classified into moist temperate deciduous forest, Parrotia (pohu) scrub forest, west Himalayan low level blue pine forest, western mixed coniferous forest, deciduous alpine scrub, west Himalayan sub-alpine birch-rhododendron forest, dwarf juniper scrub, dry temperate scrub;

AND WHEREAS, some of the notable flora and fauna of the Dachigam National Park include *Ulmus wallichiana*, *Salix alba*, Populus sp., *Prunus armeniaca*, *Quercus robur*, *Robina pseudoacacia*, *Parrotiopsis jacquemontiana*, *Rosa webbiana*, *Rubus niveus*, *Aesculus indica*, *Juglans regia*, *Pinus griffithi*, *Lychniscornaria* (L.)Desr)., Bajardantu (*Potentilla atrosanguina Lodd.),* trumbadu (*Picrishieracioides)*,Ghudkhura (*Tussilago farfara),* dodad (*Codonopsis ovate),* ratanjot (*Onosmahispidum wallichex),* Kashmir red deer (*Cervus hanglu hanglu*), Kashmir musk deer (*Moschus cupreus*), common leopard (*Panthera pardus*), Himalayan brown bear (*Ursus arctos isabellinus*), Asiatic black bear (*Ursus thibetanus*), Kashmir gray langur (*Semnopithecus ajax*), Himalayan griffon vulture (*Gyps himalayensis*), bearded vulture (*Gypaetus barbatus*), Kashmir flycatcher (*Ficedula subrubra*), etc;

AND WHEREAS, the area of Thajwas Wildlife (Baltal) Sanctuary is covered mostly under thick snow, round the year. The tree species such as*Abies pindrow, Betula ultilis, Juglans regia* and *Picea* sp. constitute the major assemblage of tree flora. *Indigofera hetranth*, *Berberies lycicum,* and *Rosa webbiana* constitute the major shrub cover of the area. The important faunal species of the area are grey langur (*Presbytis entellus),* Rhesus macaque (*Macaca mulatta),* common leopard (*Panthera pardus),* snow leopard *(Panther unica),* leopard cat *(Felis bengalensis),* jackal *(Canis aureus),* red fox (*Vulpes vulpes),* Himalayan brown bear (*Ursus arctos),* Asiatic black bear (*Ursus thibetanus),* Yellow throated martin (*Martis flavigula),* long-tailed marmot (*Mannota bobak)*, Royle's pika (*Ochotona roylei),* Asiatic ibex (*Capra sibrica),* Kashmir musk deer *(Moschus cupreus) etc;*

AND WHEREAS, due to variation in altitude, aspect and soil, a diversity of vegetation is discernible in the Overa-Aru Wildlife Sanctuary. The vegetation of the Sanctuary is mainly fir (*Abis pindrow*) with kail (*Pinus wallichiana*) in the lower elevations near Nallas. On varied physical variations the forest types found are Riverian Vegetation (1600-2300meters above mean sea level), Coniferous Forests:(2300-3000 meters above mean sea level), Alpine Scrubs and Pastures:(Beyond 3000-3500meters above mean sea level), Rock Faces:(Beyond 3500meters above mean sea level). The Overa-Aru forests are blessed with numerous plant species of great medicinal value.Some of the medical plants growing wild in the area include *Aconitum heterophyllum, Arnebia benthamii, Artemisia absinthium, Berberis lycium, Bergenia lingulata, Datura stramonium, Dioscore adeltoidea, Lavatera cashmeriana, Saussurea costus* and *Taxus wallichina*;

AND WHEREAS, the Overa-Aru Wildlife Sanctuary falls in the North-West province (Province 2A) of the Himalayan Zone as per the bio-geographic demarcation by Rodgers and Panwar (1998). This province includes the whole Kashmir valley, characterized by temperate and sub-tropical climate Kashmiri stag or hangul (*Cervus hanglu hanglu),* Kashmir musk deer (*Moschus cupreus),* Himalayan black bear (*Ursus thibetanus),* Himalayan brown bear (*Ursus arctos),* common leopard (*Panthera pardus),* Himalayan grey langur (*Presbytis ajax),* Rhesus macaque(*Macaca mulata),* red fox (*Vulpus vulpes),* brown musk shrew (*Crocidura murina),* yellow throated martin (*Martes flavigula),* long-tailed marmot (*Marmot himaliyana),* Kashmir vampire(*Mergaderma spectrum)*, Leisler's Hairy – armed bat (*Nyctalus lessleri),* Kashmir house rat(*Rattus rattus),* birch mouse (*Sicista indica),* Kashmir flying squirrel (*Eoglaucomys fimbriatus),* serow (*Capricornis sumatraensis thar)*, Roule's pika (*Ochotona royelii),* Himalayan griffon vulture (*Gyps himalayensis*), bearded vulture (*Gypaetus barbatus*), Kashmir flycatcher (*Ficedula subrubra*) etc;

AND WHEREAS, the natural boundaries of Dachigam National Park, Overa-Aru Wildlife Sanctuary and Thajwas Wildlife (Baltal) Sanctuary are connected at landscape level. The boundary of Dachigam National Park on North and North Eastern side merges with Overa-Aru Wildlife Sanctuary while as Overa–Aru Wildlife Sanctuary on its North and North-Eastern side merges with Thajwas Wildlife Sanctuary. The protected areas together form a landscape of rich biodiversity and hold good population of some of the important/endemic species of animals, birds and vegetation. The Eco-sensitive zone proposed makes these areas as one unit and will help gene flow across these areas to flourish the biodiversity;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 200 meters to 13.15 kilometers from the boundary of Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary, in the Union territory of Jammu and Kashmir as '**Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone**' (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone), the

details of which are specified in paragraph 1, for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing, controlling and abating environment pollution and takes the following measures, namely:

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone**. – (1) The extent of Eco-Sensitive Zone shall be of 200 m to 13.15 km from the boundary of Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary and comprising of an Eco-sensitive Zone area of 448.00 sq.km and the extent of Eco-sensitive Zone in different directions (kilometres) are as given below: -

Direction	Extent	Location
West	200 m	PWD Water Tank and Reservoir
South	13.15 km	Khrew CR Boundary
South-West	5.0 km	Khanmoh CR Boundary
South-East	1.0 km	Mamal Forest, Lidder Nala
East	1.0 km	Nichhang, Alpine pasture
North- East	1.0 km	Serbal Village,Sindh Forest
North	1.0 km	Forest of Sindh
North-West	4.0 km	Lidwas, Alpine Pasture Dara CR Boundary

(2) The boundary description of the Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**

(3) The maps of the Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary demarcating Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB**, **Annexure-II C, Annexure-IID** and **Annexure-II E** respectively.

(4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure- III**.

(5) The list of villages falling in the Eco-Sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone -** (1) The Union territory administration shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone prepare and notify a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared in the manner as specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and laws for the time being inforce and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union territory administration, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely: -

(i) Environment;

(ii) Forests;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation & Flood Control;

(ix) Pollution Control Board;

(x) Municipality;

(xi) Panchayati Raj; and

(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so proposed and notified shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by the Union Territory Government** -The Union territory administration shall take the measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) **Land use –** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other land~~s~~, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or Union territory administration as applicable and provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union territory administration and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the Union territory administration, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union Territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or eco-tourism -** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Union territory administration in consultation with the Departments of Environment and Forests of the Union Territory.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on carrying capacity study of the Eco-Sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

(i) Establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) A Committee comprising of the Principal Secretary (Environment and Forests), Chairman, Pollution Control Committee, an expert each in ecology and environment and civil constructions from an institute of repute such as IIT, Jammu, and a representative from the Department of Environment and Forests, shall be constituted for suggesting the environmental safeguards or measures for new construction of hotels and resorts, which shall form a component of the Tourism Master Plan. The said Committee shall put in place a risk assessment study on landslide, slope stability and seismicity and recommend environmental friendly and safe construction measures to be adopted.

(iii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco- education and eco-development;

(iv) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the regulatory authorities concerned based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and as amended from time to time under the Environment.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under or standards stipulated by the Union territory Government, whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.-**Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules 2016, and the rules made there under. The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-Medical Waste.–** Bio-Medical Waste Management shall be as under: -

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 and the rules made there under.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management**.- The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 and the rules made there under

(12) **Construction and Demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules and as amended from time to time.

(13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 and the rules made there under

(14) **Vehicular traffic.–** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the Union territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution .-** Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) **Industrial units.–** (a), No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-Sensitive Zone on or after the publication of this notification in the Official Gazette.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under: -

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 the rules made there under and other notifications, laws and acts of the Government of India pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner and as amended from time to time specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order (s) of the Hon'ble Supreme Court in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012 and IA No. 1000 of 2003 judgment dated 03.06.2022 and subsequent IA No. 131377 of 2022 judgment dated 26.04.2023 and 28.04.2023 espand.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited.

IndiaCode

9.	Commercial use of Firewood	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	Construction of new hotels and resorts and expansion of existing shall be strictly in accordance with the approved Master Plan, which takes care of habitats allowing no restriction on movement of wild animals and in conformity with the provisions prescribed in sub-paragraph (e) of paragraph 6.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind other than new hotels and resorts as regulated at serial number 10 above, shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the Union territory administration. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or Union territory administration Act and the rules made there under.
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.

18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose as per the applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws and para 3(3).
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification – There shall be a committee to be known as Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification comprising of the following, namely: -

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Divisional Commissioner, Kashmir	Chairman, *ex-officio*;
2.	An expert in ecology and environment to be nominated by the Union territory administration of Jammu and Kashmir for a term of three years each.	Non-Official Member;
3.	One representative of a Non-Governmental Organization working in the field of environment conservation *to be nominated by the* Union territory administration of Jammu and Kashmir for a term of three years each.	Non-Official Member;
4.	An expert in Biodiversity to be to be nominated by the Union territory administration of Jammu and Kashmir for a term of three years each.	Non-Official Member;
5.	Deputy Commissioner, Srinagar	Member, *ex-officio*;
6.	Deputy Commissioner, Ganderbal	Member, *ex-officio*;
7.	Deputy Commissioner, Anantnag	Member, *ex-officio*;
8.	Deputy Commissioner, Pulwama	Member, *ex-officio*;
9.	Municipal Commissioner, Srinagar	Member, *ex-officio*;
10.	Director Tourism, Kashmir	Member, *ex-officio*;
11.	Vice-chairman, Srinagar Development Authority	Member, *ex-officio*;
12.	Regional Director, J&K State Pollution Control Board, Srinagar	Member, *ex-officio*;
13.	Senior Town Planner, Kashmir	Member, *ex-officio*;
14.	Divisional Forest Officer, Sindh Forest Division	Member, *ex-officio*;
15.	Divisional Forest Officer, Lidder Forest Division	Member, *ex-officio*;
16.	Divisional Forest Officer, Awantipura	Member, *ex-officio*;
17.	Divisional Forest Officer, Urban Forestry Srinagar	Member, *ex-officio*;
18.	Chief Executive Officer, Sonmarg Development Authority	Member, *ex-officio*;
19.	Chief Executive Officer, Pahalgam Development Authority	Member, *ex-officio*;
20.	Wildlife Warden, Central Division	Member, *ex-officio*;
21.	Wildlife Warden, South Division	Member, *ex-officio*;
22.	Regional Wildlife Warden, Kashmir	Member Secretary, *ex-officio.*

IndiaCode

6. Functions of the Monitoring Committee : (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinize, the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as

specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue-to-issue basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma appended at **Annexure V**.

(6) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

Additional measures -The Central Government and Union Territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

[F. No. 25/19/2020-ESZ**]**

DR. S. KERKETTA, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY IN THE UNION TERRITORY OF JAMMU & KASHMIR

The description of the boundaries of eco-sensitive zone proposed around Dachigam National Park, Overa – Aru and Thajwas Wildlife Sanctuary in physical terms (like roads, hills, river bodies etc.) by starting from a point on the boundary and then moving clockwise along the boundary and reaching back to the starting point is described as under:

Sl. No.	Clockwise point marked on map (Annexure - IIB)	Latitude	Longitude	Distance from PA boundary	Description
1	A79	34° 3' 15.251" N	75° 8' 0.671" E	4000 m	Tral Wildlife Sanctuary Boundary
2	A80	34° 2' 58.075" N	75° 4' 43.320" E	5800 m	Tral Wildlife Sanctuary Boundary
3	A78	34° 3' 54.827" N	75° 10' 9.078" E	1000 m	CO 22/Tral Forest Area, Pambach Khod
4	A77	34° 3' 32.136" N	75° 11' 49.204" E	1000 m	CO 13/Tral Forest Area
5	A76	34° 0' 51.106" N	75° 11' 47.399" E	1500 m	CO 24/Forest Area
6	A75	33° 58' 40.560" N	75° 12' 45.305" E	1000 m	CO 3 Forest Area, Watwagar
7	A74	33° 55' 59.424" N	75° 14' 14.040" E	1000 m	CO 51/L Forest Area
8	A73	33° 55' 30.071" N	75° 15' 57.718" E	1000 m	CO 50/L, OWUR VILLAGE, Lidder Forest

9	A72	33° 56' 24.120" N	75° 17' 31.265" E	1000 m	CO 45/L, Lidder Nala
10	A71	33° 57' 15.929" N	75° 18' 3.605" E	1000 m	Khelan Forest
11	A70	33° 59' 22.631" N	75° 19' 46.479" E	1000 m	Mamal Forest, Lidder Nala
12	A69	34° 0' 39.145" N	75° 19' 30.680" E	1000 M	Mamal Village Lidder Forest
13	A68	34° 2' 18.510" N	75° 18' 46.000" E	1000 m	Wachran, Lidder Forest
14	A67	34° 4' 17.693" N	75° 20' 27.833" E	2000 m	CO 19/L, Forest Area, Sangam
15	A66	34° 5' 56.905" N	75° 22' 34.820" E	2000 m	CO 16, Alpine Pasture, Sarnar
16	A65	34° 6' 33.678" N	75° 23' 43.486" E	2000 m	Razdan Nar, Alpine Pasture
17	A64	34° 7' 17.036" N	75° 24' 47.423" E	2000 m	CO 12/L, Alpine Pasture
18	A63	34° 7' 58.882" N	75° 25' 23.100" E	2000 m	Rabemarg, Alpine Pasture
19	A62	34° 8' 0.552" N	75° 26' 31.540" E	2000 m	Chhut Pass, Alpine Pasture
20	A61	34° 7' 4.716" N	75° 27' 28.791" E	2000 m	Astanmarg, Alpine Pasture
21	A60	34° 5' 29.317" N	75° 29' 6.805" E	3500 m	Wahabal Top, Alpine Pasture
22	A59	34° 4' 56.071" N	75° 32' 7.704" E	2000 m	Guidi Gali, Alpine Pasture
23	A58	34° 6' 41.702" N	75° 33' 43.985" E	2000 m	Alpine Pasture
24	A57	34° 9' 16.025" N	75° 33' 34.143" E	1000M	NICHHANG, ALPINE PASTURE
25	A55	34° 13' 3.553" N	75° 28' 22.872" E	1000M	Nagin pathar Sindh Forest
26	A54	34° 14' 27.098" N	75° 25' 33.864" E	1000M	DOMEL FOREST, SINDH Forest
27	A53	34° 16' 48.778" N	75° 21' 57.738" E	1000M	SERBAL VILLAGE,SINDH Forest
28	A52	34° 18' 6.772" N	75° 19' 50.204" E	1000M	ICHAMARG Sindh Forest
29	A51	34° 18' 58.878" N	75° 16' 46.479" E	1000 m	Forest of Sindh
30	A50	34° 18' 5.637" N	75° 14' 56.678" E	1000M	SINDH RIVER
31	A49	34° 17' 29.286" N	75° 14' 31.634" E	300 M	SINDH RIVER
32	A48	34° 16' 56.159" N	75° 14' 1.212" E	1000 m	CO 53/S, Alpine Pasture
33	A47	34° 15' 49.113" N	75° 14' 49.986" E	1000 M	GANJ FORESTS, SINDH DIVN
34	A46	34° 15' 16.878" N	75° 15' 1.176" E	1000 m	CO 53/S, Alpine Pasture
35	A45	34° 14' 37.991" N	75° 13' 45.388" E	1000 m	CO 53/S, Alpine Pasture

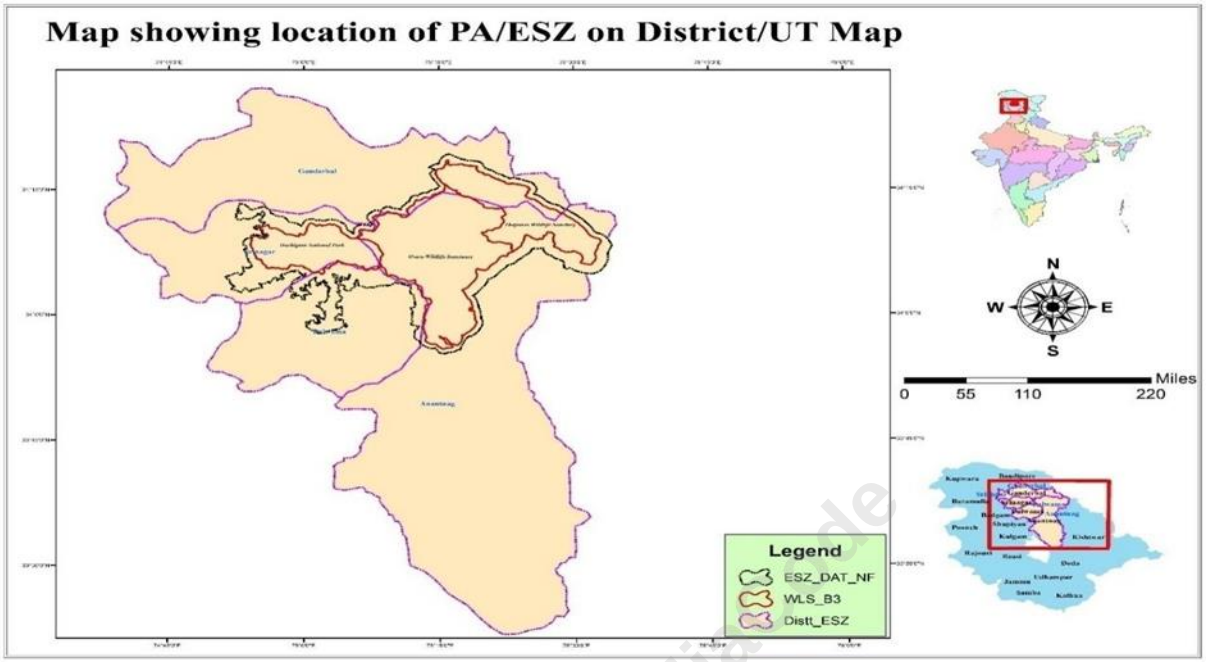
IndiaCode

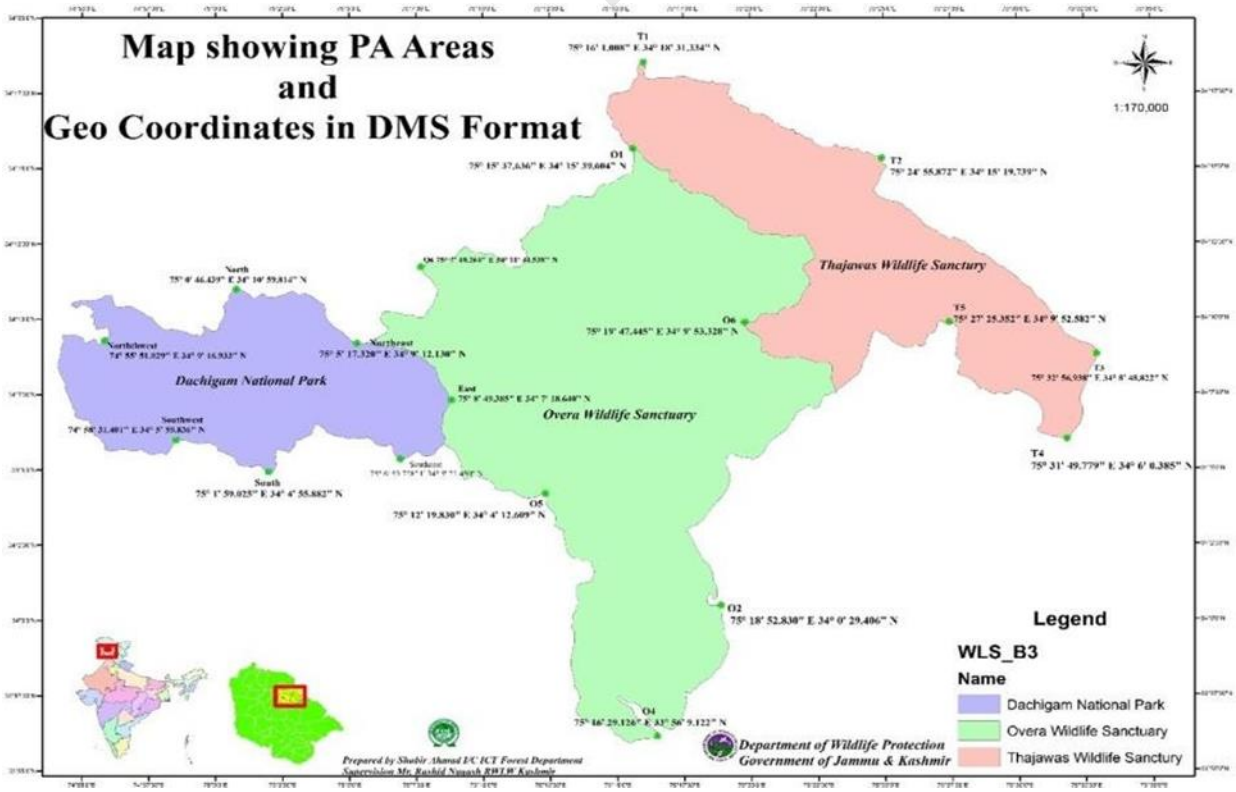
36	A44	34° 14' 18.503" N	75° 12' 42.915" E	1000 m	CO 53/S, Alpine Pasture
37	A43	34° 13' 35.740" N	75° 11' 40.523" E	1000 m	CO 49/S, Alpine Pasture
38	A42	34° 12' 36.944" N	75° 10' 45.661" E	1000 m	CO 45/S, Alpine Pasture
39	A41	34° 12' 46.428" N	75° 9' 53.324" E	1000 m	CO 44/S, Alpine Pasture
40	A40	34° 12' 31.919" N	75° 8' 33.634" E	1000 m	CO 41/S, Alpine Pasture
41	A39	34° 12' 17.483" N	75° 7' 29.182" E	1000 m	CO 39/S, Alpine Pasture
42	A38	34° 10' 54.508" N	75° 7' 37.519" E	1000 m	CO 34/MBL, Alpine Pasture
43	A37	34° 9' 44.700" N	75° 5' 30.248" E	1000 m	Hoka Sar, Alpine Pasture
44	A36	34° 11' 25.897" N	75° 3' 11.160" E	1000 m	Sura Pharao Forest, Sindh
45	A35	34° 11' 30.915" N	75° 0' 43.381" E	1000 m	Lidwas, Alpine Pasture
46	A34	34° 12' 58.353" N	74° 55' 33.494" E	4000 m	Lidwas, Alpine Pasture Dara CR Boundary
47	A33	34° 12' 14.645" N	74° 53' 2.294" E	4000 m	Tulapather, Forests Dara CR Boundary
48	A32	34° 12' 0.537" N	74° 55' 9.431" E	2500 m	Dara Nala, Darawan, Forests Dara CR Boundary
49	A31	34° 10' 56.846" N	74° 55' 30.008" E	500 m	Chak-i-Dara village
50	A30	34° 10' 30.271" N	74° 54' 28.658" E	200 m	Murinderbagh Village, Water body
51	A29/1	34° 10' 16.143" N	74° 55' 17.265" E	200 m	Agriculture Land, Nu Thid Village
52	A29	34° 9' 22.069" N	74° 55' 46.856" E	200 m	Mahadeo Nar, Agriculture Land
53	A28	34° 9' 21.172" N	74° 55' 11.641" E	200 m	Mavas Kol
54	A27	34° 9' 38.496" N	74° 54' 20.173" E	200 m	PWD Water Tank &Reservior
55	A26	34° 8' 25.731" N	74° 53' 17.089" E	1220 m	Nishat CR Boundary
56	A25	34° 4' 35.364" N	74° 51' 21.879" E	6500 m	Khanmoh CR Boundary Zawan Forest
57	A24	34° 3' 6.963" N	74° 54' 15.042" E	5000 m	Khanmoh CR Boundary
58	A23	34° 5' 0.460" N	74° 57' 56.832" E	1000 m	open scrub
59	A22	34° 3' 23.601" N	75° 0' 45.759" E	3350m	Khanmoh CR Boundary
60	A21	34° 1' 32.777" N	75° 1' 41.557" E	6000 m	Khrew CR Boundary
61	A20	33° 57' 50.300" N	75° 2' 12.931" E	13150 m	Khrew CR Boundary
62	A 56	34° 11' 46.161" N	75° 30' 28.774" E	1000 m	Panjtarni, Sindh Forest

IndiaCode

ANNEXURE-II A

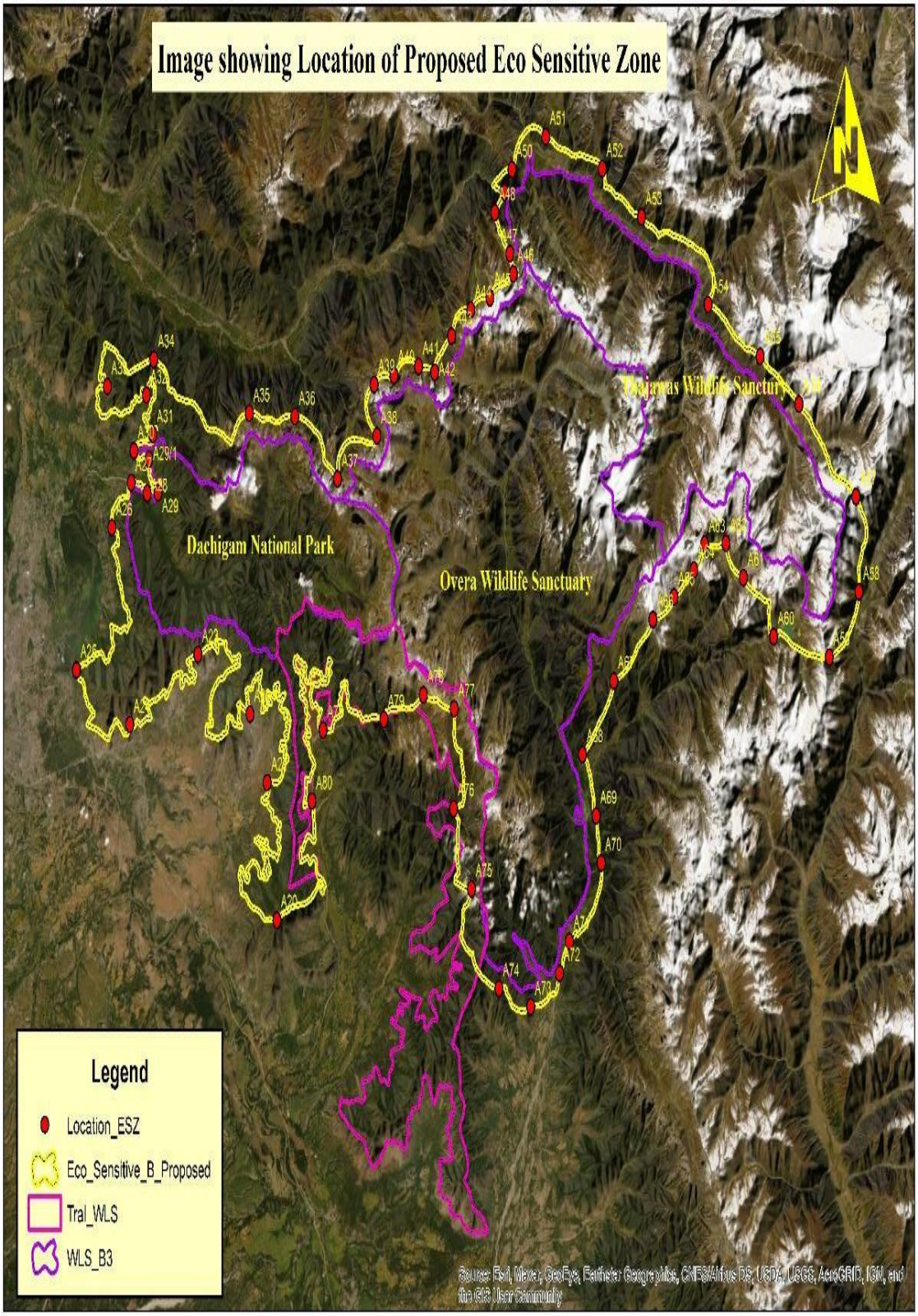
LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARYALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATION





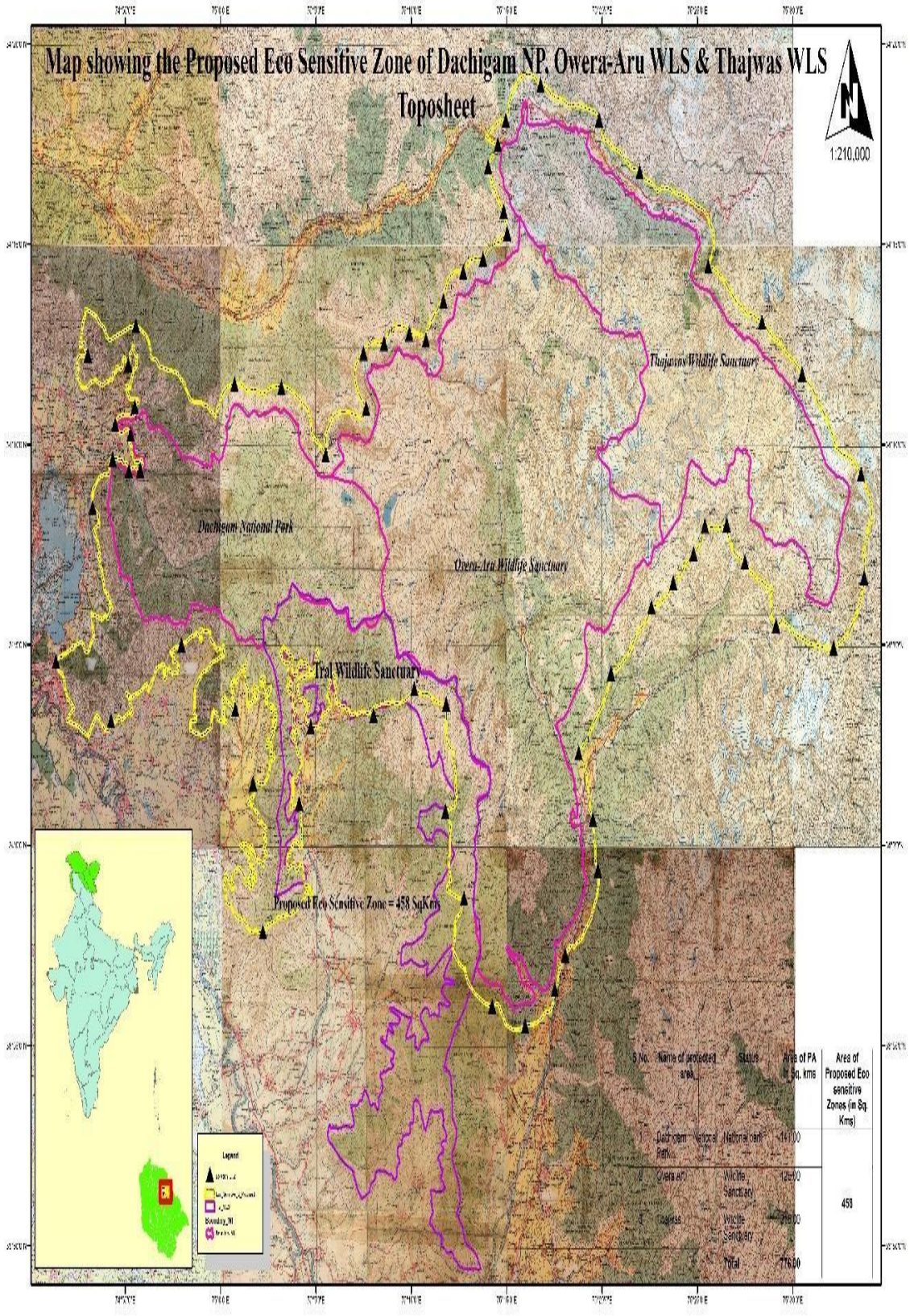
ANNEXURE-II B

SATELLITE MAP SHOWING BOUNDARIES OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUNDDACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARYALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATION



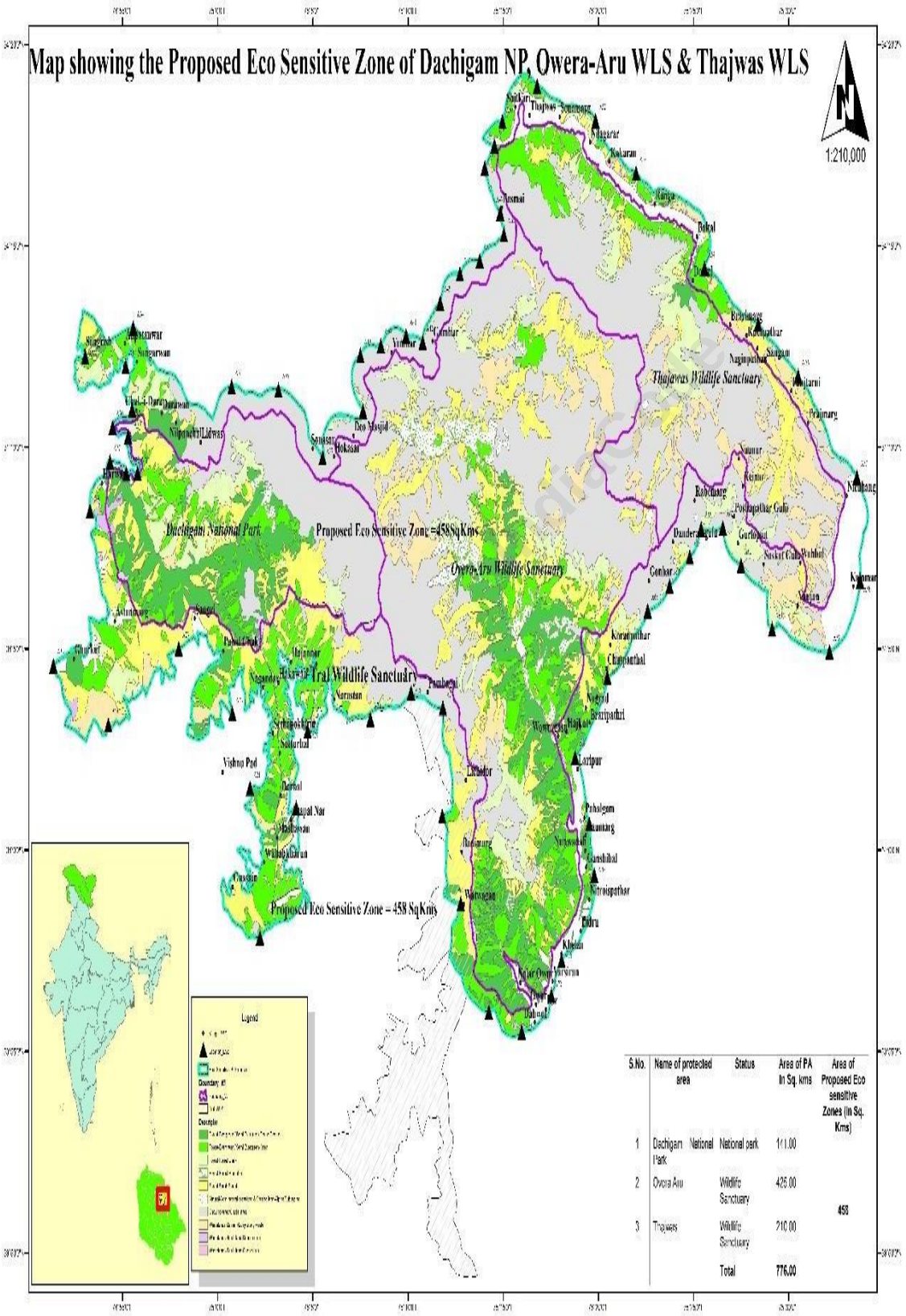
ANNEXURE-II C

TOPOSHEET MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY



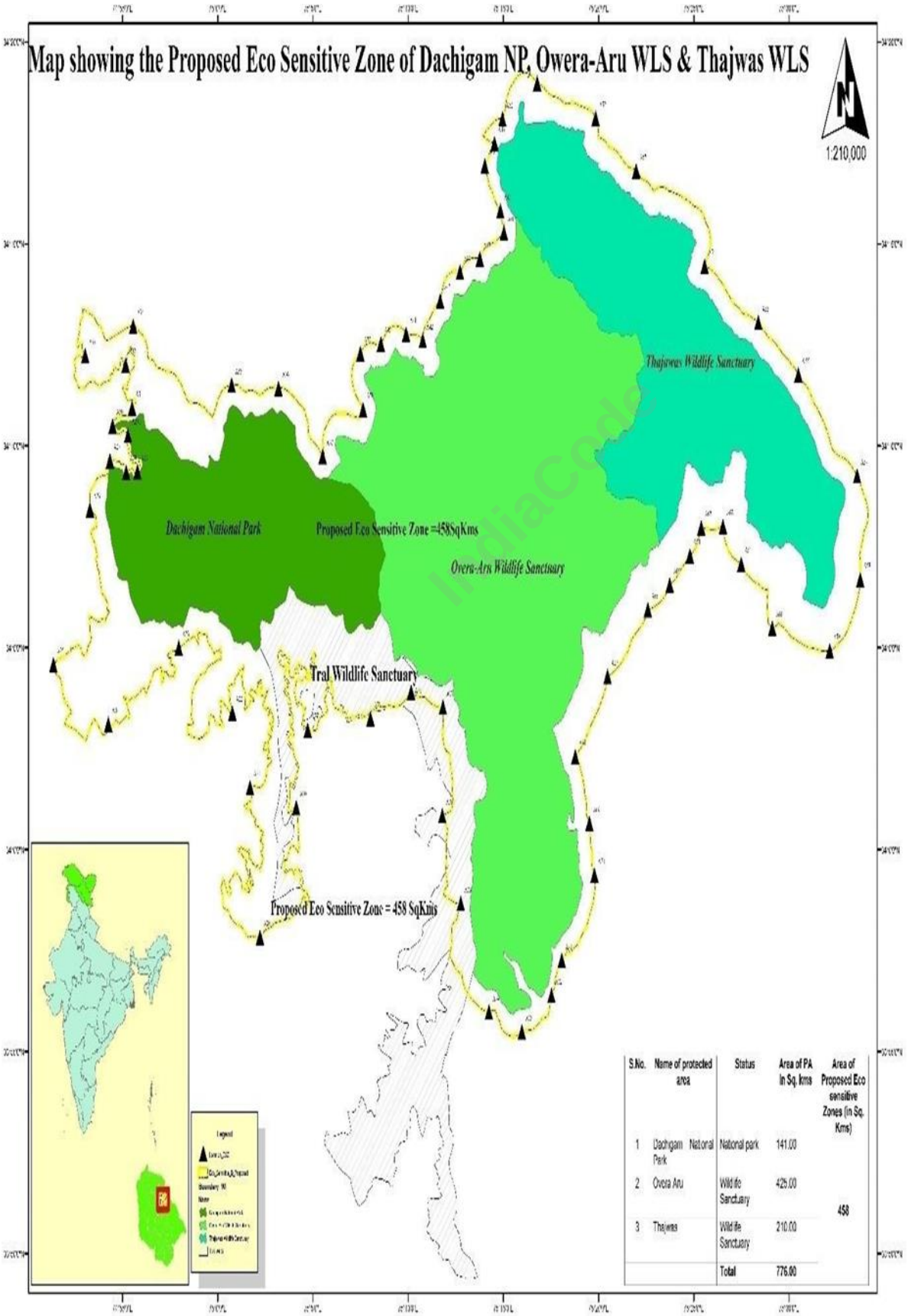
ANNEXURE-II D

LAND USE LAND COVER MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY



ANNEXURE -II E

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY



ANNEXURE-III

TABLE SHOWING THE GEO-COORDINATES OF THE PROTECTED AREA OF DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	GPS Point	Latitude	Longitude
1	T1	34^0 18’ 31.334” N	75^0 16’ 1.008” E
2	T2	34^0 15’ 19.739” N	75^0 24’ 55.872” E
3	T3	34^0 8’ 48.822” N	75^0 32’ 56.938” E
4	T4	34^0 6’ 0.385” N	75^0 31’ 49.779” E
5	T5	34^0 9’ 52.582” N	75^0 27’ 25.352” E
6	O1	34^0 15’ 39.604” N	75^0 15’ 37.636” E
7	O2	34^0 0’ 29.406” N	75^0 18’ 52.83” E
8	O3	34^0 11’ 44.538” N	75^0 7’ 40.264” E
9	O4	33^0 56’ 9.122” N	75^0 16’ 29.126” E
10	O5	34^0 4’ 12.609” N	75^0 12’ 19.830” E
11	O6	34^0 9’ 53.328” N	75^0 19’ 47.445” E
12	North	34^0 10’ 59.814” N	75^0 0’ 46.439” E
13	East	34^0 7’ 18.640” N	75^0 8’ 49.395” E
14	South	34^0 4’ 55.882” N	75^0 1’ 59.025” E
15	Northwest	34^0 9’ 16.933” N	74^0 55’ 51.029” E
16	Northeast	34^0 9’ 12.130” N	75^0 5’ 17.320” E
17	Southwest	34^0 5’ 59.836” N	74^0 58’ 31.401” E
18	Southeast	34^0 5’ 34.450” N	75^0 6’ 53.738” E

IndiaCode

B. TABLE SHOWING THE GEO-COORDINATES OF THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARIES OF DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Clockwise point marked on map	Latitude	Longitude
1	A79	34° 3' 15.251" N	75° 8' 0.671" E
2	A80	34° 2' 58.075" N	75° 4' 43.320" E
3	A78	34° 3' 54.827" N	75° 10' 9.078" E
4	A77	34° 3' 32.136" N	75° 11' 49.204" E
5	A76	34° 0' 51.106" N	75° 11' 47.399" E
6	A75	33° 58' 40.560" N	75° 12' 45.305" E
7	A74	33° 55' 59.424" N	75° 14' 14.040" E
8	A73	33° 55' 30.071" N	75° 15' 57.718" E
9	A72	33° 56' 24.120" N	75° 17' 31.265" E
10	A71	33° 57' 15.929" N	75° 18' 3.605" E
11	A70	33° 59' 22.631" N	75° 19' 46.479" E
12	A69	34° 0' 39.145" N	75° 19' 30.680" E

13	A68	34° 2' 18.510" N	75° 18' 46.000" E
14	A67	34° 4' 17.693" N	75° 20' 27.833" E
15	A66	34° 5' 56.905" N	75° 22' 34.820" E
16	A65	34° 6' 33.678" N	75° 23' 43.486" E
17	A64	34° 7' 17.036" N	75° 24' 47.423" E
18	A63	34° 7' 58.882" N	75° 25' 23.100" E
19	A62	34° 8' 0.552" N	75° 26' 31.540" E
20	A61	34° 7' 4.716" N	75° 27' 28.791" E
21	A60	34° 5' 29.317" N	75° 29' 6.805" E
22	A59	34° 4' 56.071" N	75° 32' 7.704" E
23	A58	34° 6' 41.702" N	75° 33' 43.985" E
24	A57	34° 9' 16.025" N	75° 33' 34.143" E
25	A55	34° 13' 3.553" N	75° 28' 22.872" E
26	A54	34° 14' 27.098" N	75° 25' 33.864" E
27	A53	34° 16' 48.778" N	75° 21' 57.738" E
28	A52	34° 18' 6.772" N	75° 19' 50.204" E
29	A51	34° 18' 58.878" N	75° 16' 46.479" E
30	A50	34° 18' 5.637" N	75° 14' 56.678" E
31	A49	34° 17' 29.286" N	75° 14' 31.634" E
32	A48	34° 16' 56.159" N	75° 14' 1.212" E
33	A47	34° 15' 49.113" N	75° 14' 49.986" E
34	A46	34° 15' 16.878" N	75° 15' 1.176" E
35	A45	34° 14' 37.991" N	75° 13' 45.388" E
36	A44	34° 14' 18.503" N	75° 12' 42.915" E
37	A43	34° 13' 35.740" N	75° 11' 40.523" E
38	A42	34° 12' 36.944" N	75° 10' 45.661" E
39	A41	34° 12' 46.428" N	75° 9' 53.324" E
40	A40	34° 12' 31.919" N	75° 8' 33.634" E
41	A39	34° 12' 17.483" N	75° 7' 29.182" E
42	A38	34° 10' 54.508" N	75° 7' 37.519" E
43	A37	34° 9' 44.700" N	75° 5' 30.248" E
44	A36	34° 11' 25.897" N	75° 3' 11.160" E
45	A35	34° 11' 30.915" N	75° 0' 43.381" E
46	A34	34° 12' 58.353" N	74° 55' 33.494" E
47	A33	34° 12' 14.645" N	74° 53' 2.294" E
48	A32	34° 12' 0.537" N	74° 55' 9.431" E
49	A31	34° 10' 56.846" N	74° 55' 30.008" E
50	A30	34° 10' 30.271" N	74° 54' 28.658" E
51	A29/1	34° 10' 16.143" N	74° 55' 17.265" E
52	A29	34° 9' 22.069" N	74° 55' 46.856" E

IndiaCode

53	A28	34° 9' 21.172" N	74° 55' 11.641" E
54	A27	34° 9' 38.496" N	74° 54' 20.173" E
55	A26	34° 8' 25.731" N	74° 53' 17.089" E
56	A25	34° 4' 35.364" N	74° 51' 21.879" E
57	A24	34° 3' 6.963" N	74° 54' 15.042" E
58	A23	34° 5' 0.460" N	74° 57' 56.832" E
59	A22	34° 3' 23.601" N	75° 0' 45.759" E
60	A21	34° 1' 32.777" N	75° 1' 41.557" E
61	A20	33° 57' 50.300" N	75° 2' 12.931" E
62	A 56	34° 11' 46.161" N	75° 30' 28.774" E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE AROUND DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

The following villages / townships fall within the proposed ESZ of Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary:

Table A: List of Villages falling in the extent of the ESZ with Geo-coordinates (Dachigam National Park)

Direction	Name of the village	Latitude (N)	Longitude (E)
West	Harwan	34° 9' 6.755" N	74° 53' 55.414" E
North - West	Sangarwan	34° 12' 7.839" N	74° 55' 44.493" E
	Alipatanwar	34° 12' 34.883" N	74° 55' 7.277" E
	Sangrish	34° 12' 23.998" N	74° 53' 1.689" E
	Nilpanchal	34° 10' 36.535" N	74° 57' 48.842" E
	Lidwas	34° 10' 7.469" N	74° 59' 6.327" E
	Sonasar	34° 9' 58.283" N	75° 4' 59.318" E
	Chak-i-Dara	34° 10' 55.184" N	74° 55' 42.793" E
	Darawan	34° 10' 50.716" N	74° 57' 3.790" E
South - East	Narastan	34° 3' 44.756" N	75° 6' 8.078" E
	Parangom	34° 4' 37.377" N	75° 5' 10.638" E
	Zuastan	34° 4' 28.826" N	75° 4' 43.266" E
	Hajannar	34° 4' 40.119" N	75° 3' 51.195" E
South	Hakawan	34° 4' 9.288" N	75° 3' 11.158" E
	Arapal Nar	34° 0' 45.312" N	75° 3' 50.430" E
	Wahabkharun	33° 59' 41.933" N	75° 2' 26.015" E
	Mashawan	34° 0' 19.134" N	75° 3' 7.192" E
South	Sangri	34° 5' 44.981" N	74° 58' 47.442" E
South	Pahal Chak	34° 4' 57.139" N	75° 0' 16.550" E
South - East	Guasain	33° 59' 5.227" N	75° 0' 46.357" E
	Darbal	34° 1' 21.075" N	75° 3' 18.698" E
	Sutturbal	34° 2' 25.226" N	75° 3' 15.799" E

North -East	Sethapokhirin	34° 2' 54.372" N	75° 2' 53.756" E
	Nagandar	34° 4' 2.450" N	75° 2' 22.903" E
	Vishnu Pad	34° 1' 56.086" N	75° 0' 15.121" E
	Hokasar	34° 9' 46.028" N	75° 6' 6.465" E
South - West	Gharkut	34° 4' 45.188" N	74° 52' 26.657" E
	Chashma Shahi	34° 5' 4.522" N	74° 53' 19.845" E
	Astanmarg	34° 5' 41.483" N	74° 54' 35.626" E

Table B: List of Villages falling in the extent of the ESZ with Geo-coordinates (Overa-Aru Wildlife Sanctuary)

Direction	Name of the village	Latitude (N)	Longitude (E)
North - East	Gonhar	34° 6' 41.460" N	75° 22' 38.632" E
	Koranpathar	34° 5' 6.212" N	75° 20' 37.691" E
	Chuspanthal	34° 4' 30.433" N	75° 20' 25.571" E
	Naginpathri	34° 3' 48.163" N	75° 19' 55.467" E
	Nagrad	34° 3' 32.064" N	75° 19' 20.233" E
	Zarajtsak	34° 3' 14.452" N	75° 18' 25.916" E
	Hajkut	34° 2' 56.095" N	75° 18' 19.490" E
	Braripathri	34° 3' 9.923" N	75° 19' 31.748" E
	Zambarub	34° 3' 4.085" N	75° 19' 1.421" E
	Wowurgasu	34° 2' 49.620" N	75° 17' 52.905" E
East	Laripur	34° 2' 0.264" N	75° 18' 54.076" E
	Pahalgam	34° 0' 48.271" N	75° 19' 15.500" E
South - East	Kaumarg	34° 0' 21.628" N	75° 19' 19.049" E
	Nunwanah	33° 59' 59.090" N	75° 19' 18.119" E
	Ganshibal	33° 59' 34.662" N	75° 19' 21.691" E
	Nitroispathar	33° 58' 46.269" N	75° 19' 31.091" E
	Rakidar	33° 58' 18.367" N	75° 19' 16.612" E
	Lidru	33° 57' 59.147" N	75° 19' 3.859" E
	Khelan	33° 57' 25.722" N	75° 18' 3.718" E
South	Varsiran	33° 56' 44.701" N	75° 17' 35.401" E
	Lar	33° 56' 2.720" N	75° 17' 14.693" E
	Owar	33° 56' 10.072" N	75° 16' 43.168" E
	NalarOwur	33° 56' 42.348" N	75° 15' 53.970" E
	Dahwot	33° 55' 43.079" N	75° 16' 39.136" E
South - West	Watwagan	33° 58' 39.156" N	75° 12' 55.367" E
	Banimarg	33° 59' 57.120" N	75° 12' 48.798" E
	Lichidor	34° 1' 43.928" N	75° 13' 2.038" E
	Pambagai	34° 3' 55.140" N	75° 11' 1.623" E
	PambachKhod	34° 4' 28.345" N	75° 9' 52.002" E

IndiaCode

North	Deo Masjid	34° 10' 17.132" N	75° 7' 8.045" E
	Yamhar	34° 12' 21.636" N	75° 9' 7.605" E
	Gumbar	34° 12' 38.221" N	75° 11' 16.754" E

Table C: List of Villages falling in the extent of the ESZ with Geo-coordinates Thajwas Wildlife sanctuary

Direction	Name of the village	Latitude (N)	Longitude (E)
North - East	Shitkari	34° 18' 27.051" N	75° 15' 37.234" E
	Thajwas	34° 18' 14.630" N	75° 16' 22.825" E
North	Sonamarg	34° 18' 12.004" N	75° 17' 57.697" E
North - West	Nilagarar	34° 17' 33.985" N	75° 19' 33.272" E
	Kokaran	34° 17' 5.503" N	75° 20' 34.803" E
	Ranga	34° 16' 1.997" N	75° 22' 56.646" E
	Baltal	34° 15' 13.873" N	75° 25' 10.132" E
	Domel	34° 14' 8.346" N	75° 24' 57.546" E
	Brarimarg	34° 13' 2.859" N	75° 26' 55.023" E
	Kuthpathar	34° 12' 47.019" N	75° 27' 46.960" E
	Naginpathar	34° 12' 27.517" N	75° 28' 20.634" E
	Sangam	34° 12' 8.537" N	75° 28' 47.432" E
East	Panjtarni	34° 11' 24.006" N	75° 30' 7.580" E
	Prajmarg	34° 10' 36.596" N	75° 31' 0.492" E
South - East	Nichhang	34° 8' 47.776" N	75° 33' 2.310" E
	Kainmar	34° 6' 33.065" N	75° 33' 22.637" E
	Vaujan	34° 6' 4.290" N	75° 30' 27.261" E
	Wahbal	34° 7' 8.131" N	75° 30' 35.322" E
	SaskatGulu	34° 7' 5.742" N	75° 28' 40.851" E
	Gurlopun	34° 7' 37.227" N	75° 27' 19.300" E
South	PoshapatharGulu	34° 8' 16.873" N	75° 27' 7.015" E
	Naunar	34° 9' 43.038" N	75° 27' 22.340" E
South - West	Keinar	34° 9' 2.534" N	75° 27' 35.277" E
	Rabemarg	34° 8' 40.610" N	75° 25' 2.823" E
	Danderangulu	34° 7' 39.144" N	75° 23' 54.155" E

IndiaCode

ANNEXURE-V

Performa of Action Taken Report: -

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).

6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).

7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.05.20 22:03:46 +05'30'